ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

YEAR : 2017-2018

(1-4-2017 TO 31-03-2018)

वर्ष : 2017—2018

(1-4-2017 से 31-03-2018)

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT
HIMACHAL PRADESH
SHIMLA- 171009

ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश,
शिमला—171009

विषय सूची

क्रम संख्या		पृष्ठ संख्या
I.	ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन	1
II.	प्रदेश में विकास खण्डों का विवरण	1–4
III.	ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक ढांचा	4
	1. राज्य स्तर पर	4
	2. निदेशालय स्तर पर	4–5
	3. जिला स्तर पर	5
	4. विकास खण्ड स्तर पर	5–6
	5. ग्रामीण विकास विभाग की तकनीकी सेवायें	6
	6. कर्मचारी पद्वति(स्टाफिंग पैटर्न)	6–7
	7. विभाग के कार्य/गतिविधियां	7–8
	8. राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मुल्यांकन प्रकोष्ठ	9
IV.	ग्रामीण विकास कार्यक्रम / योजनाएं	9
	1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम	9–10
	2. हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन	10–12
	3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	12–17
	4. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	18–19
	5. राजीव आवास योजना	20–21
	6. मुख्यमन्त्री आवास योजना	22–23
	7. राजीव आवास मुरम्मत योजना	24–25
	8. मातृ शक्ति बीमा योजना	26–27
	9. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना –डब्ल्यू डी0सी0 (पूर्व में एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम)	28–37
	10. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	37–40
	11. राष्ट्रीय रूर्बन मिशन (एनआरयूएम)	40–41
V.	सूचना का अधिकार अधिनियम	41–42

I. ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन

ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन देश की स्वतन्त्रता के पश्चात से ही प्रमुख समस्याएं रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए 2 अक्तूबर, 1952 से देश भर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य जन–सहयोग से ग्रामीण विकास को सम्भव करना था। विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रारूपीकरण तथा कार्यान्वयन के लिए विकास खण्डों का सृजन किया गया।

वर्ष 1999 तक स्वरोजगार योजनाएं नामतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई0आर0डी0पी0), ग्रामीण युवाओं के लिए स्वयं रोजगार का प्रशिक्षण कार्यक्रम(ट्राईसम), ग्रामीण क्षेत्रों मे महिलाओं एवं बच्चों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (डवाकरा), ग्रामीण दस्तकारों के लिए उन्नत औजार प्रदान करने की योजना, दस लाख कूप योजना और गंगा कल्याण योजना कार्यान्वित की जा रहीं थी। परन्तु 1–4–1999 से ये योजनाएं स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में समेकित कर दी गई, जिसके स्थान पर 1–4–2003 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागू किया गया है।इसी प्रकार जवाहर ग्राम समृद्वि योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना भी चलाई जा रही थी। परन्तु 1–4–2002 से ये योजनाएं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में समेकित कर दी गई जिसे मनरेगाा के अस्तित्व में आने के बाद बंद कर दिया गया है।

ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999–2000 से आरम्भ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के सदस्यों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न आयवर्धक गतिविधियां शुरू करने हेतु अनुदान एवं ऋण प्रदान करना है। इस योजना में स्वरोजगार के सभी पहलुओं जैसे ग्रामीण निर्धनों को समूहों में गठित करना, उनकी कार्य क्षमता को बढाना, समूह गतिविधियों का नियोजन, आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना, ऋण तथा विपणन इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। यह योजना 01–4–2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन में समेकित कर दी गई है।

संसद ने सितम्बर, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ऐसा परिवार, जिसके सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करने हेतु आगे आते हैं, को प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिन का मजदूरी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। यह अधिनियम 2 फरवरी, 2006 से उन जिलों में लागू हुआ जिन्हें भारत सरकार ने नामित किया था। राज्य में जिला चम्बा और सिरमौर को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया था। 1 अप्रैल, 2007, से द्वितीय चरण में जिला कांगड़ा व मण्डी को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। हिमाचल प्रदेश के अन्य 8 जिलों को 1 अप्रैल, 2008 चरणबद्ध तरीके से इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत परतीभूमि विकास परियोजना, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, एकीकृत जलागम प्रबन्धन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना इत्यादि का केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों पर नियोजन तथा कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं को पात्र व्यक्तियों तक पंहुचाया जा सके।

II. प्रदेभा में विकास खण्डों का विवरण

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को विकास के लिए चलाए जा रहे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विकास खण्ड़ एक महत्त्वपूर्ण इकाई है। हिमाचल प्रदेश में 79 विकास खण्ड हैं। जिलावार विकास खण्डों का निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	जिला का नाम	विकास खण्ड का नाम	
1	बिलासपुर	1	बिलासपुर
		2	घुमारवीं
		3	झण्डूता
		4	नैना देवी जी स्थित स्वारघाट
2	चम्बा	1	चम्बा
		2	मैहला
		3	सलूणी
		4	तीसा
		5	भटियात
		6	पांगी
		7	भरमौर
3	हमीरपुर	1	हमीरपुर
		2	बिझड़ी
		3	भोरंज
		4	नादौन
		5	सुजानपुर टीहरा
		6	बमसन
4	कांगड़ा	1	बैजनाथ
		2	भवारना
		3	पंचरूखी
		4	लम्बागांव
		5	नगरोटा बगवां
		6	नगरोटा सूरियां
		7	कांगड़ा
		8	रैत
		9	नूरपुर
		10	इन्दौरा
		11	देहरा
		12	प्रागपुर
		13	फतेहपुर
		14	सुलह
		15	धर्मशाला
5	किन्नौर	1	कल्पा
		2	निचार
		3	पूह
6	कुल्लू	1	नग्गर

		2	कुल्लू
		3	बंजार
		4	आनी
		5	निरमण्ड
7	लाहौल स्पीति	1	लाहौल स्थित केलांग
		2	स्पिति स्थित काजा
8	मण्डी	1	मण्डी (सदर)
		2	बल्ह
		3	सुन्दरनगर
		4	करसोग
		5	गोहर
		6	गोपालपुर
		7	द्रंग
		8	चौंतड़ा
		9	धर्मपुर
		10	सिराज
9	शिमला	1	मशोबरा
		2	ठियोग
		3	नारकण्डा
		4	रामपुर
		5	चौपाल
		6	जुब्बल–कोटखाई
		7	रोहडू
		8	छौहारा
		9	बसंतपुर
		10	ननखडी
		11	कूपवी
10	सिरमौर	1	पच्छाद
		2	नाहन
		3	शिलाई
		4	संगडाह
		5	पावंटा
		6	राजगढ़
11	सोलन	1	कण्डाघाट
		2	कुनिहार
		3	धर्मपुर
		4	सोलन

		5	नालागढ़
12	ऊना	1	बंगाणा
		2	अंब
		3	गगरेट
		4	ऊना
		5	हरोली

III. ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक ढांचा

हिमाचल में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग का ढांचा निम्नलिखित हैः–

1 राज्य स्तर परः–

राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग, सचिव, ग्रामीण विकास के पूर्ण नियन्त्रण में कार्य कर रहा है तथा उनके सहयोग के लिए निदेशक–एवं–विशेष सचिव, अतिरिक्त निदेशक–एवं–संयुक्त सचिव (ग्रा0वि0),संयुक्त निदेशक एवं संयुक्त सचिव (ग्रा0वि0) तथा संयुक्त निदेशक कार्यरत हैं। अतिरिक्त निदेशक–एवं–संयुक्त सचिव (ग्रा0वि0), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्य भी देख रहे हैं। राज्य स्तर पर निम्नलिखित कक्ष कार्य कर रहे हैंः–

(क) राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ

अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0वि0),उप–निदेशक (ग्रा0वि0) और सांख्यिकी अधिकारी प्रकोष्ठ के कार्यक्रम अधिकारी है। सांसद ग्राम योजना अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0वि0) द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य आवास योजनाएं उप–निदेशक(ग्रा0वि0) और डी0आर0डी0ए0 ऐडमिस्ट्रेशन, मातृ–शक्ति बीमा योजना इत्यादि योजनाएं सांख्यिकी द्वारा देखी जा रही हैं।

(ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

संयुक्त निदेशक–एवं–संयुक्त सचिव (ग्रा0वि0) मनरेगा प्रकोष्ठ के कार्यक्रम अधिकारी हैं।

(ग) राज्य स्तरीय नोडल संस्था (जलागम)

परियोजना निदेशक (एस0एल0एन0ए0), प्रकोष्ठ के कार्यक्रम अधिकारी है। परियोजना निदेशक (एस0एल0एन0ए0) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम और एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रमों के प्रभारी हैं।

(घ) स्वच्छ भारत मि□ान (ग्रामीण)

उप–निदेशक एवं परियोजना निदेशक (एन0बी0ए0) प्रकोष्ठ के कार्यक्रम अधिकारी है।

2 निदे□ालय स्तर परः–

निदेशालय स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग, निदेशक एवं विशेष सचिव (ग्रामीण विकास), के नियन्त्रण में कार्य कर रहा है तथा उनके सहयोग के लिए अतिरिक्त निदेशक–एवं–संयुक्त सचिव (ग्रा0वि0) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,,संयुक्त निदेशक एवं संयुक्त सचिव (ग्रा0वि0) तथा संयुक्त

निदेशक,अतिरिक्त निदेशक–एवं–संयुक्त सचिव (ग्रा0वि0), उप–निदेशक तथा अधिशाषी अभियंता कार्यरत हैं।

निदे□ालय स्तर पर प्र□ासनिक ढांचा

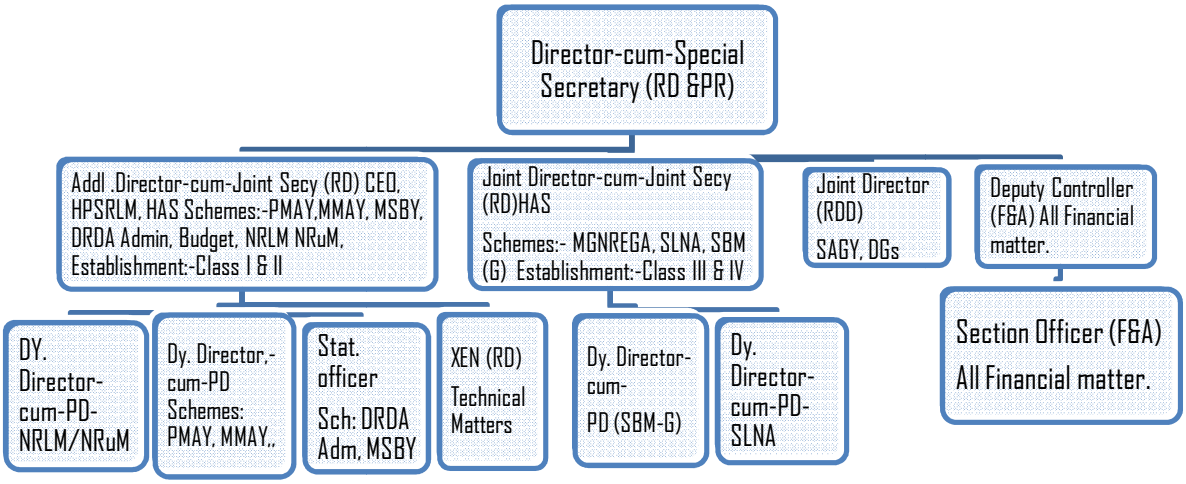

---

3 जिला स्तर पर:–

जिला स्तर पर सभी विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डीआरडीए) को उत्तरदायी बनाया गया है। उपायुक्त ग्रामीण विकास अभिकरणों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किये गये हैं। परियोजना निदेशक, उप–निदेशक एवं परियोजना अधिकारी (डीआरडीए), सहायक परियोजना अधिकारी (स्वरोजगार) सहायक परियोजना अधिकारी (महिला) सहायक परियोजना अधिकारी, (जलागम) परियोजना अर्थशास्त्री, अधीक्षक, सांख्यकीय अन्वेक्षक, वरिष्ठ सहायक, लिपिक व सेवादार उन्हे अभिकरण के कार्यो के निष्पादन में सहयोग प्रदान करते हैं। उपायुक्तों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की सभी कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं । इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर अध्यक्ष, जिला परिषद् की अध्यक्षता में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की एक शासकीय निकाय हैं। ये निकाय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी हैं।

4 विकास खण्ड स्तर पर:–

विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी को निम्नलिखित कर्मचारी वर्ग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण करने में सहायता की जाती है:–

क्र0सं0	पदनाम
1	अधीक्षक
2	कनिष्ठ अभियन्ता
3	महिला समाज शिक्षा संगठक/आयोजिका
4	समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी
5	वरिष्ठ सहायक (प्रगति)
6	वरिष्ठ सहायक
7	लिपिक/आशु टंकक

8	पंचायत सचिव/सहायक
9	कम्पयूटर ऑप्रेटर
10	ग्राम रोज़गार सेवक
11	ग्राम विकास संयोजिका
12	चालक
13	सेवादार
14	सफाई कर्मचारी/चौकीदार

5. ग्रामीण विकास विभाग की तकनीकी सेवायें

विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्य सम्बन्धित तकनीकी जानकारी प्रदान करने के आश्य से 3 पद अधिशाषी अभियन्ता, 36 पद सहायक अभियन्ता, 33 पद कनिष्ठ अभियन्ता, 3 पद मुख्य प्रारूपकारों और 24 पद प्रारूपकारों के सृजित किये गये हैं। राज्य स्तर पर अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा दो कनिष्ठ अभियन्ताओं तथा अन्य लिपिक वर्ग के कर्मचारियों का 1 अभियान्त्रिकी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। धर्मशाला तथा मण्डी में आंचलिक कार्यालय जिसमें अधिशाषी अभियन्ता अधीक्षक, वरिष्ठ सहायक, आशुटंकक, लिपिक, चालक तथा सेवादार के पद सृजित किये गये हैं जो तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यरत है।

6. कर्मचारी पद्वति (स्टाफिंग पैटर्न)

श्रेणीवार स्वीकृत, भरे और रिक्त पदों की 31.3.2018

तक की स्थिति :–

क्र0सं0	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	उप –निदेशक (ग्रा0वि0)	01	0	**01**
2.	खण्ड विकास अधिकारी BDO=78, Core faculity SIRD=1, A.D.MGNREGA=1, T.E. Livelihood=7, D.D.-cum-PD=12, DD-cum-PDs, SLNA & NRLM=7, Training & Leave Reserve=7, Total =113	113	95	15
3.	प्रशासनिक अधिकारी	01	--	01
4.	अधिशाषी अभियन्ता	03	02	01
5.	सहायक अभियन्ता (विकास)	36	20	16
6	अधीक्षक ग्रेड–1	01	01	--
7	अधीक्षक ग्रेड–11	98	84	14
8	विकास अधिकारी (महिला कार्यक्रम)	05	05	--
9	उप–निदेशक (सांख्यकीय)	01	0	01
10	सांख्यकीय अधिकारी	01	01	0
11	समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी	80	77	3
12	पंचायत सचिव	1208	462	746

13.	कनिष्ठ अभियन्ता	33	11	22
14.	वरिष्ठ सहायक	188	165	23
15.	वरिष्ठ सहायक (प्रगति)	78	74	04
16.	अन्वेक्षक	2	02	0
17.	सांख्यिकीय सहायक	3	1	2
18.	मुख्य प्रारूपकार	3	2	1
19	प्रारूपकार	36	20	16
20.	लिपिक	180	143	37
21	कनिष्ठ कार्यालय सहायक	40	17	23
22.	अशुटंकक	37	09	28
23.	कनिष्ठ आशुटंकक	02	01	01
24.	वरिष्ठ आशु टंकक	01	01	--
25.	निजी सचिव	01	01	--
26	चालक	88	77	11
27.	महिला समाज शिक्षा आयोजिका/ संगठक	79	69	10
28.	महिला ग्राम विकास संयोजिका	176	37	139
29	कनिष्ठ सिलाई अध्यापिका	19	05	14
30	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	376	292	84

7 विभाग के कार्य/गतिविधियां:–

विभाग के मुख्य कार्य नीचे दिए गए हैं:–

7.1 गतिविधियां

विभाग में विभिन्न विकास कार्यों जैसे सामुदायिक विकास, आवास योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और राजीव आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तथा डी.डी.यु.जी.के.वाई. कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जलागम विकास परियोजनाएं,(आई0डब्लयू0डी0पी0, डी0डी0पी0, डी0पी0ए0पी0 तथा एकीकृत जलागम प्रबन्धन), महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम व स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण विभाग द्वारा कार्यान्वियत किये जा रहे हैं।

7.2 कार्य

उपरोक्त दिये गये विभाग के सभी कार्यों के लिये विभाग के विभिन्न अधिकारियों की जिम्मेवारियॉ निम्न प्रकार से हैं:–

i) सचिव ग्रामीण विकास

- प्रदेश सरकार को नीति निर्धारण एवं प्रशासकीय नियन्त्रण में सहयोग देना।

ii) निदेशक एवं वि□ोश सचिव

- विभाग का पूर्ण प्रशासकीय व वित्तीय नियन्त्रण ।

iii) अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक/उप–सचिव (ग्रामीण विकास)

- सचिव (ग्रा0वि0), निदेशक ग्रामीण विकास को नीति निर्धारण, विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा निदेशालय एवं क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों पर नियन्त्रण में सहयोग देना तथा अन्य सौंपे गए कार्य करना।

iv) उप–निदेशक ग्रामीण विकास/ सांख्यिकी

- निदेशक महोदय को केन्द्रीय तथा राज्य के कार्यक्रमों / योजनाओं के कार्यान्वयन तथा निदेशालय एवं क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों के प्रशासकीय नियन्त्रण में सहयोग देना तथा सचिव एवं विशेष सचिव को नीति निर्धारण में सहयोग देना।

v) सांख्यिकी अधिकारी

- उप–निदेशक ग्रामीण विकास को विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोग देना तथा विशेष रूप से आवधिक रिपोर्टों तथा अनुश्रवण में सहयोग देना।

vi) उप–नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)

- विकास खण्ड़ों का वार्षिक निरीक्षण करना, लेखा परीक्षा रिर्पोटें तैयार करना, महालेखा परीक्षक/जनलेखा समिति के द्वारा मांगे गये पैरों के उत्तर बनाकर समायोजित करना तथा छः अनुभाग अधिकारियों के सहयोग से परामर्श हेतु मामलों में सुझाव देना।

vii) अधिशाषी अभियन्ता (ग्रा0वि0) शिमला मुख्यालय :

- विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन का टैस्ट चैक तथा निरीक्षण करना, विभिन्न विकासात्मक कार्यों/योजनाओं/कार्यक्रमों का अनुश्रवण, वित्तीय, संख्यात्मक, गुणात्मक पहलुओं को ध्यान रखते हुए करना। इसके अतिरिक्त मुरम्मत कार्यो का प्राक्कलन तैयार करना, कार्यों का निर्धारण, कार्यों के प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना, कार्यों का निरीक्षण, प्राक्कलनों की जांच करना, निविदाओं की स्वीकृति, अनुबन्ध तैयार करना, केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं इत्यादि। इनके अधीन सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/मुख्य प्रारूपकार/ प्रारूपकार कार्यरत हैं।

viii) अधीक्षक ग्रेड़–I, II/सी0डी0–II, सी0डी0–।।।/ अधिशाषी अभियन्ता/ रोकड़ एवं बजट

क. अधीक्षक शाखा–I, II प्रशासनिक अनुभव द्वारा निष्पादित कार्यों की देखरेख।

ख. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग को प्रतिनियुक्त करना तथा उनके दैनिक कार्यों की देखरेख करना।

ग. यह सुनिश्चित करना कि सभी सम्बन्धित सहायक सभी तरह के सहायक रजिस्टरों एवं अन्य अभिलेख का रखरखाव करें ।

घ. डाक भेजना तथा नस्तियों को अनुभाग एवं उच्च्य अधिकारियों को भेजने हेतु उनकी देखरेख करना।

च. समयबद्ध मामलों तथा न्यायालय मामलों का समय पर निष्पादन करना।

छ. यह सुनिश्चित करना कि मैनुअल, नियम, दिशा–निर्देश तथा रक्षक नस्ति, प्रेसिडेंट रजिस्टर का रखरखाव नियमानुसार किया जा रहा है।

8 राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ

हिमाचल प्रदेश सरकार ने निदेशालय स्तर पर वर्ष 1999–2000 में राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ का गठन किया है।

8.1 कार्य

राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ का कार्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई गई विकासात्मक योजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना है। जैसे कि माहत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधान मंत्री आवास योजना, राजीव आवास योजना, मातृ–शक्ति बीमा योजना, प्रशासन में व्यय इत्यादि। इसके अतिरिक्त वार्षिक प्रशानिक रिर्पोट तैयार करना भी प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी होगी।

8.2 स्वीकृत कर्मचारी वर्ग

राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ में स्वीकृत पद तालिका में दर्शाए गए हैंः–

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या
1	संयुक्त निदेशक	1
2	उप–निदेशक (सांख्यिकी)	1
3	विषयवाद विशेषज्ञ	2
4	सांख्यिकीय अधिकारी	1
5	अधीक्षक ग्रेड–1	1
6	सहायक अभियन्ता (विकास)	1
7	सांख्यिकीय अन्वेषक	4
8	सांख्यिकीय सहायक	5
9	वरिष्ठ सहायक	4
10	पसनिक अधिकारी (अंकेक्षण)	1
11	लेखाकार /रोकड़िया	1
12	कम्पयूटर ऑपरेटर	1
13	कनिष्ठ आशु टंकक	1
14	लिपिक एवं टंकक	3
15	सेवादार	2

उक्त कर्मचारियों की संख्या पहले से ही निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को सम्मिलित कर के है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की मार्गनिर्देशिका के अनुसार प्रकोष्ठ का प्रशासनिक व्यय जिलों से प्राप्त (केन्द्रीय अंश + राज्य अंश) के 10 प्रतिशत में से किया जाता है।

IV. ग्रामीण विकास कार्यक्रम

प्रदेश में कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रमः–

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं, सामुदायिक विकास की पुरानी रूपरेखा पर आधारित है, जिनका उद्धेश्य जन–समुदाय के सहयोग से उनका विकास करना है। विकास खण्ड़ों में कर्मचारियों के लिए आवास गृह के निर्माण/नवीनीकरण कार्यों को पूरा करने के लिए धन राशि उपलब्ध करवाई जाती है। ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मुख्यालय, विकास खण्डों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया जाता है। महिला मण्डलों को

प्रोत्साहित करने तथा सुदृढ करने के प्रयोजन से 'महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना' तथा महिला मण्डलों के सदस्यों के लिए प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन करने के लिए तथा स्वच्छता के अन्तर्गत राज्य पुरस्कार योजनाओं हेतु विकास खण्डों को इस कार्यक्रमों के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है।

चालू वित वर्ष 2017–18, के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन विभिन्न योजनाओं के लिए रू 9430.38 लाख रू0 31–3–2018 तक व्यय किये गये है।

2. राश्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मि□ान

परिचय :– गरीब व गरीबों में सबसे गरीब परिवारों को मजबूत करने, उनको अधिक से अधिक वित्तीय सहायता और सामाजिक एकजुटता प्रदान करने के लिए तथा संस्थाओं एवं क्षमता का निर्माण, वित्तीय समावेश, संतृप्त दृष्टिकोण और स्थाई आजीविका का एक पोर्टफोलियो स्थापित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एसजीएसवाई के स्थान पर 1 अप्रैल, 2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागू किया है।

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य सभी गरीब परिवारों तक पहुंच बनाना, उन्हें आजीविका के सतत अवसरों से जोड़ना और गरीबी से बाहर आने तथा एक सभ्य गुणवता के जीवन का आनन्द लेने तक उनका पोषण करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने विभिन्न स्तरों पर एक समर्पित और संवेदनशील समर्थन संरचना का प्रावधान किया है। ये संरचनाएं गरीब की जन्मजात क्षमता को उभारने एवं बाहरी वातावरण से निपटने तथा वित्त और अन्य संसाधनों के उपयोग के लिए पूरक के रूप में समर्थ बनाने की दिशा में काम करती है।
- हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत शुरू में सभी गरीब और अति गरीब परिवारों, और बाद में आंशिक रूप से गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों का चयन, गरीबों की भागीदारी से पहचान प्रक्रिया (पी0आई0पी0) तथा एस0ई0सी0सी0 डाटा 2011 के माध्यम से किया जा रहा है। स्वंय सहायता समूहों व उनकी संस्थाओं को बैंक से बार–बार माइक्रोफाइनांसिग के लिए जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत उपरोक्त लक्ष्य के अतिरिक्त सैनिकों की विधवाओं, एकल नारी, अपंग/दिवांगजन तथा एकल वृद्धों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा।

वर्तमान में इसका कार्यान्वयन प्रदे□ा के 12 जिलों के 12 विकास खण्डों में किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:

क्र0सं0	जिला का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	बिलासपुर	घुमारवीं
2	चम्बा	तीसा
3	हमीरपुर	भोरंज
4	कांगड़ा	नूरपुर
5	किन्नौर	निचार
6	कुल्लू	कुल्लू
7	लाहौल–स्पिति	लाहौल–स्पिति
8	मण्ड़ी	मण्ड़ी (सदर)
9	शिमला	बसन्तपुर

10	सिरमौर	पावंटा साहिब
11	सोलन	कंड़ाघाट
12	ऊना	हरोली

- शेष गैर गहन खण्डों को अगामी वर्षों में चरणबद्व तरीके से आजीविका मिशन के कार्यान्वयन हेतू लिया जाएगा।

लागत मानदण्ड :–

प्रदेश के वर्ग 1 में चार जिलों शिमला,मण्डी, कांगड़ा व ऊना में गठित सभी महिला स्वंय सहायता समूहों (चाहे वे किसी भी एजेंसी द्वारा गठित किए गए हों) को ऋण पर ब्याज दर 7% वार्षिक होगी तथा इन दोनों जिलों के महिला स्वयं सहायता समूहों (WSHGs) को 3% की अतिरिक्त ब्याज दर में छूट के लिए चयनित किया गया है। किन्तु यह केवल उन्ही महिला स्वयं सहायता समूहों (WSHGs) के लिए लागू होगी जो ऋण की अदायगी निर्धारित समय सीमा के भीतर करेंगे। शेष बचे 8 जिलों में ब्याज दर बैंकों की ही लागू होगी किन्तु निर्धारित समय सीमा पर ऋण की अदायगी करने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों (WSHGs) को ब्याज दर 7% वार्षिक होगी। सभी ऋणों पर ब्याज के अन्तर की राशी भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 90:10 की भागीदारी में वहन की जाएगी।

जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य व उपलब्धियां वर्ष 2017–18

क्र0 सं0	जिला का नाम	स्वयं सहायता समूह के गठन का लक्ष्य	उपलब्धियां	स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्हें ऋण दिया गया	ऋण दिलवाने का लक्ष्य (रू0)	उपलब्धियां
1	बिलासपुर	160	298	80	157.00	199.50
2	चम्बा	370	421	103	366.00	170.00
3	हमीरपुर	245	396	134	255.00	284.20
4	कांगड़ा	650	669	330	680.00	769.37
5	किन्नौर	60	68	17	68.00	55.50
6	कुल्लू	120	245	134	128.00	152.35
7	लाहौल–स्पिति	45	17	17	51.00	19.00
8	मण्ड़ी	550	725	519	552.00	756.20
9	शिमला	480	464	283	493.00	601.22
10	सिरमौर	190	94	54	208.00	155.00
11	सोलन	200	180	93	212.00	261.75
12	ऊना	210	280	180	230.00	331.84
	कुल	3280	3857	1944	3400.00	3755.93

जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य व उपलब्धियां वर्ष 2017–18

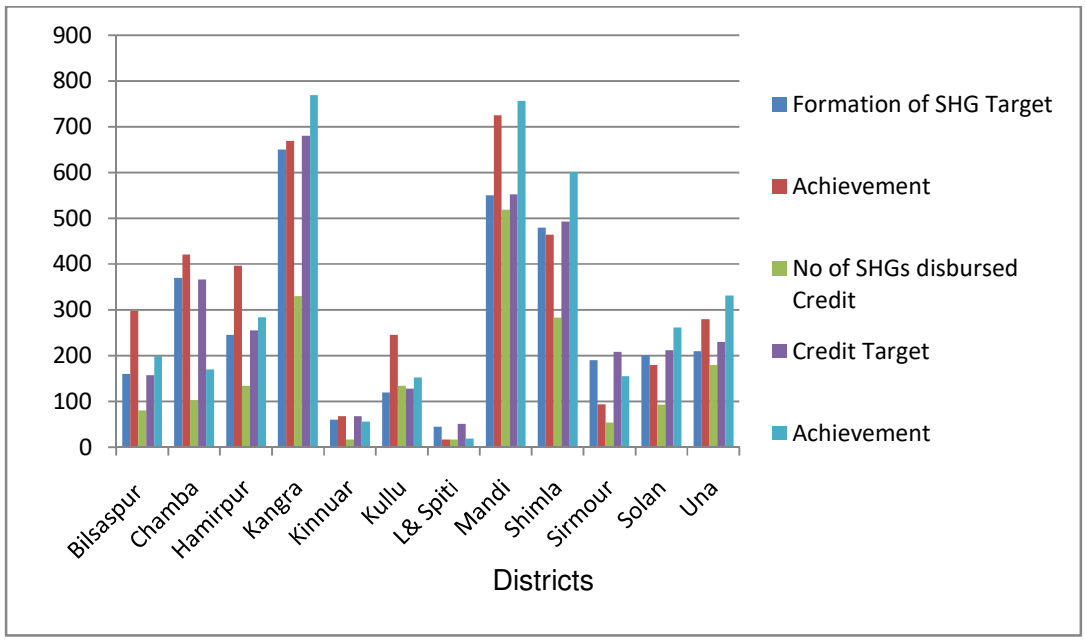

3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम :–

1. **परिचयः–** भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को अधिसूचित किया तथा 2 फरवरी 2006 में इसे लागू किया गया। प्रदेश में प्रथम चरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को जिला चम्बा तथा जिला सिरमौर में 2 फरवरी, 2006 को लागू किया गया। द्वितीय चरण में 1 अप्रैल, 2007 से इस योजना को जिला मण्डी तथा जिला कांगडा में लागू किया गया तथा तीसरे चरण में शेष आठ जिलों में 1 अप्रैल, 2008 से इस योजना को लागू किया गया।

2. मुख्य लक्ष्य :–

इस अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा को प्रदान करने हेतु प्रत्येक ऐसे परिवार को जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

वित्त वर्ष 2018–19 से राज्य सरकार ने रोजगार की संख्या को 100 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है, ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार मिल सके। अतिरिक्त दिनों पर आए व्यय का वहन प्रदेश सरकार करेगी। का वैतनिक रोजगार उपलब्ध

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सभी पंजीकृत परिवार मजदूरी प्राप्त करने के हकदार है। प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्त वर्ष में 120 दिनों का वैतनिक रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। 120 दिनों का रोजगार एक वित्तीय वर्ष में परिवार के बीच में बांटा जा सकता है।

3. योग्यता :–

सभी व्यस्क सदस्य पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए वह :–

क ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए।

ख स्वेच्छा से अकुशल कार्य करने का इच्छुक हो।

ग स्थानीय ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकता है।

4. पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र और जॉब कार्ड जारी करना :–

पंजीकरण के लिए आवेदन सादे कागज पर भी दिया जा सकता है और निर्धारित प्रपत्र पर भी जो कि ग्राम पंचायत में उपलब्ध है और पंजीकरण मौखिक रूप से भी करवाया जा सकता है। आवेदन पत्र में उन सभी व्यस्क सदस्यों के नाम होने चाहिए जो स्वैच्छिक रूप से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं जिसमें आयु, वर्ग और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का विवरण भी दिया गया हो। छानबीन के उपरान्त सभी विवरणों को पंजीकरण रजिस्टर में सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज किया जाता है। प्रत्येक परिवार को पंजीकरण संख्या प्रदान की जाती है। प्रत्येक पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत द्धारा जॉब कार्ड जारी किया जाता है। आवेदन पत्र के पंजीकृत होने के 15 दिन के भीतर–भीतर जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है। आवेदनकर्ता जो व्यस्क है उनका फोटो जॉब कार्ड में लगाया जाता है। जॉब कार्ड पांच वर्ष के लिए मान्य होगा। जॉब कार्ड तथा फोटो का व्यय योजना के तहत वहन किया जाता है।

5. कार्य के लिए आवेदन और रोजगार आबटित करना :–

कार्य के लिए आवेदन ग्राम पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जा सकता है। कार्य के लिए आवेदन लिखित रूप में करना होगा और इसकी प्राप्ति दिनांक सहित आवेदक को आवश्यक रूप से देनी होगी। आवेदन पत्र कम से कम 14 दिनों के लिए लगातार कार्य के लिए होगा। आवेदनकर्ता जिसे कार्य प्रदान किया जाता है उसे पत्र के द्वारा, जो उसने जॉब कार्ड पर अपना पता दिया है, सूचित किया जा सकता है और ग्राम पंचायत के सार्वजनिक सूचना पट पर दर्शाया जा सकता है। आवेदनकर्ता को आवेदन प्राप्ति की दिनांक के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान किया जाता है।

6. स्वीकार्य कार्य :–

I **श्रेणी अ : प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से सम्बन्धित लोक निमार्ण**

(i) पेय जल स्त्रोत सहित परष्किृत भूजल पर विशेष घ्यान के साथ भूमिगत बांध, मिटटी के बांध, रोक बांधों जैसे भूजल की वृद्वि और सुधार के लिए जल संरक्षण और जल शास्य

(ii) जल संचय के व्यापक उपचार के परिणाम स्वरूप खाई रूपरेखा, कगार, खाई पुश्ता, गोलाश्म अवरोध पीपा ढांचे और झरना शेड विकास जैसे जलसंभर प्रबधन कार्य।

(iii) सूक्ष्म और लधु सिंचाई कार्य और सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृज–1, पनरूज्जीवन और अनुरक्षण।

(iv) सिंचाई कुंडों और अन्य जलाशयों की डिसिल्टिंग सहित पारंपरकि जलाशयों का पुनरूज्जीवन।

(v) पैरा 5 में आने वाली गृहस्थी के भोगाधिकार सम्यक् रूप से प्रदान करके सामान्य और वन भूमियों, सडक सीमांतों, नहर बन्द, कुडं तटाग्र और तटीय पटटी में वन भूमि में वृक्षारोपण, वृक्ष उगाना और बागवानी तथा

(vi) सामान्य भूमि में भूमि विकास कार्य।

II श्रेणी आः दुर्बल वर्गों के लिए व्याश्टिक आस्तियां

(i) भूमि विकास के माध्यम से और खुदे हुए कुओं, कृषि तालाबों तथा अन्य जल संचयन सरंचनाओ सहित सिंचाई के लिए उपयुक्त अवसंरचना उपलब्ध कराकर पैरा 5 में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों की भूमि की उत्पादकता में सुधार करना।

(ii) उद्यान कृषि, रेशम कृषि, पौधा रोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से आजीविका में सुधार करना।

(iii) इसे जुताई के अधीन लाने के लिए पैरा 5 में परिभाशित गृहस्थियों की परती भूमि या बंजर भूमि का विकास।

(iv) इन्दिरा आवास योजना या ऐसे अन्य राज्य या केन्द्रीय सरकार की स्कीम के अधीन स्वीकृत गृहों के संनिर्माण में अकुशल मजदूरी संघटक।

(v) कुटकुट आश्रय, बकरी आश्रय, सुकर आश्रय, पशु आश्रय, चारा द्रोणिका जैसे पशु धन के संवधन के लिए अवसंरचना का सृजन करना और

(vi) मछली शुष्कण याडों, भंडारण सुविधाओं जैसे मतस्य पालन और सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जलाशयों में मतस्यपालन के संसवर्धन के लिए अवसंरचना सृजित करना।

III श्रेणी इः एनआरएलएम िकायत स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अवसंरचना।

(i) जैव उर्वरकों और पश्च कटाई सुविधाएं जिनके अन्तर्गत कृषि उत्पाद के लिए पक्का भंडारण सुविधाएं भी हैं, के लिए अपेक्षित टिकाऊ अवसंरचना सृजित करके कृषि उत्पादकता संवर्धन करने के लिए संकर्म और

(ii) स्वयं सहायता समूहों की आजीविका क्रियाकलापों के लिए सामान्य कार्याशाला।

IV श्रेणी ईः ग्रामीण अवसंरचना

(i) विहित संनियमों के अनुसार स्वत्रंत रूप से या 'खुले में मल त्याग न करने' प्रास्थिति तथा ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबन्धन को प्राप्त करने के लिए अन्य सरकारी विभागों की स्कीमों के अनुसार व्यष्टिक घरेलू शौचालय, विद्यालय शौचालय एकक, आंगनवाडी शौचालयां जैसे कार्यों से सम्बन्धित ग्रामीण स्वच्छता।

(ii) असंबद्व ग्रामों को और विद्यमान पक्का सडक नेटवर्क के लिए अभिज्ञात ग्रामीण उत्पादन केन्द्रों को जोडने के लिए सभी मौसमों में ग्रामीण सडक संयोजकता उपलब्ध कराना, और ग्राम में पक्की आंतरिक सडकें या गलियों, जिनके अन्तर्गत पार्श्विक नालियां और पुलिया भी हैं का संनिर्माण।

(iii) खेल के मैदानों का संनिर्माण।

(iv) आपदा तैयारी में सुधार करना या सडकों का जीणोंद्वार या अन्य आवश्यक सार्वजनिक अवंसरचना, जिसके अन्तर्गत बाढ नियंत्रण और सरंक्षण संकर्म भी है, का जीणोंद्वार जलमग्न क्षेत्रों में अपवहन, उपलब्ध कराने, बाढ जलमार्गों की मुरम्मत करने, चायर जीर्णोद्वर तटीय संरक्षण के लिए तुफानी जल नालियों का संनिर्माण सम्बन्धी संकर्म।

(v) ग्राम पंचायतों के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों, परिसंधों, चक्रवात आश्रय, आंगनवाडी केन्द्रों, ग्रामीण होटों और ग्राम या ब्लॉक स्तर पर में शवदाह गृह के लिए भवनों का संनिर्माण।

(vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20)के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए खाद्यान भंडारण संरचनाओं का संनिर्माण।

(vii) अधिनियम के अधीन संनिर्माण संकर्मों के लिए ऐसे संकर्मों के प्राकलन के भाग के रूप में अपेक्षित निर्माण सामग्री का उत्पादन।

(viii) अधिनियम के अधीन सृजित ग्रामीण लोक आस्तियों का रखरखाव और।

(ix) कोई अन्य कार्य, जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाएगा।

संकर्म की प्राथमिकता क्रम स्थानीय क्षेत्र की संभाव्यता, उसकी आवश्यकताओं, स्थानीय संसाधनों का ध्यान में रखते हुए तथा पैरा 9 के उपबन्धों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों में प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अवधारित किया जाएगा।

ऐसे संकर्म, जो अमूर्त हैं, अमापनीय है, पुनरावृतीय है जैसे घास, कंकर हटाना, कृषि संक्रियाएं नही लिए जाएंगे।

पैरा 5:– व्यष्टिक आस्तियां सृजित करने वाले संकर्मों को निम्नलिखित से सम्बन्धित कुटुंबों के स्वामित्वाधीन भूमि या वास भूमि के सम्बन्ध में प्राथमिकता दी जाएगी।

क	अनुसूचित जाति
ख	अनुसूचित जनजाति
ग	घुमन्तु जनजाति
ध	अधिसूचना में से निकाली गई जनजातियां
ड	गरीबी रेखा से नीचे अन्य कुटुंब
च	महिला प्रधान वाले कुटुंब
छ	शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाले कुटुंब
ज	भूमि सुधारों के फायदाग्राही
झ	इन्दिरा आवास योजना के अधीन फायदाग्राही
त्र	अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन फायदाग्राही और

इस शर्त के अधीन रहते हुए, कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु या सीमान्त किसानों की भूमि पर उपरोक्त प्रवर्गों के अधीन पात्र फायदाग्राहियों को खाली करने के पश्चात कि कुटुंबों के पास उनकी भूमि या वास भूमि पर आरम्भ की गई परियोजना पर कार्य करने के इच्छुक कम से कम एक सदस्य के पास कार्य कार्ड होगा।

7. निधियो की भागीदारीः–

निम्नलिखित का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता हैः–

क) अकुशल श्रमिको की दिहाड़ी।

ख) 75 प्रतिशत राशि का व्यय जो सामग्री एवं कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों के भुगतान हेतु व्यय होती है।

ग) प्रशासनिक खर्चा।

निम्नलिखित का भुगतान प्रदे□ा सरकार द्धारा किया जाएगाः–

क) 25 प्रतिशत राशि जो सामग्री एवं कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों के भुगतान हेतु व्यय होती है।

ख) बेरोज़गारी भत्ता ।

ग) राज्य रोजगार गारंटी कौंसिल का प्रशासनिक खर्चा।

8. मजदूरी का भुगतानः–

क) प्रत्येक व्यक्ति जो इस योजना के अधीन कार्य कर रहा है मजदूरी का हकदार होगा जो भारत सरकार / राज्य सरकार ने अधिसूचित की हो।

ख) पुरूष एवं स्त्री कामगारों को समान वेतन मजदूरी दी जाएगी।

ग) कामगारों को मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या कार्य करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

घ) मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरों को मजदूरी उन द्वारा किये गये कार्य के अनुरूप दी जाती है जो कि दर सूची पर आधारित है।

9. बेरोजगारी भत्ते का भुगतानः–

i) इस योजना के तहत यदि आवेदक को अपने आवेदन की मांग प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर या जिस तारीख से रोजगार के लिए आवेदन किया हो भते का एक चौथाई हिस्सा एक माह तक प्रदान किया जाएगा और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि को भते की आधी मजदूरी प्रदान की जाएगी।

ii) बेरोजगारी भत्ते का तुरन्त भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी कार्यक्रम अधिकारी की होगी। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी उसी तरह किया जाएगा जिस तरह वेतन का भुगतान किया जाता है। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान उस तारीख के बाद 15 दिन से ज्यादा देरी से नही होना चाहिए जिस दिन से सम्बन्धित आवेदक बेरोजगारी भत्ते का अधिकारी हो चुका है।

iii)राज्य सरकार एक वित्तीय वर्ष में बेरोजगारी भता देने के लिए बाध्य नही होगी यदि :–

अ आवेदक को ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी ने काम के लिए निर्दिष्ट किया हो।

ब जिस अवधि के लिए रोजगार मांगा गया हो वह समाप्त हो गई हो और परिवार के किसी सदस्य को रोजगार के लिए आवेदन न किया हो।

स आवेदक के परिवार में से व्यस्क सदस्य ने 120 दिनों का कार्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान कर लिया हो।

द यदि आवेदक ने एक वित्तीय वर्ष में 120 दिनों के कार्य के बराबर मजदूरी रोजगार प्राप्त कर लिया हो।

10. कार्य योजना को तैयार करनाः–

ग्राम सभा योजना के अधीन लिए गये कार्यो की सिफारिश करेगी जिनको ग्राम पंचायत स्तर पर संकलित किया जाएगा और जिन्हे खण्ड कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। खण्ड विकास अधिकारी को खण्ड कार्यक्रम अधिकारी का पदनाम दिया गया है। खण्ड कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायत के प्रस्तावों और कार्यो की, जिन्हे पंचायत समिति द्वारा खण्ड योजना में संकलित किया है, पचांयत समिति के अनुमोदन के उपरान्त इसे जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) को प्रेषित करता है। उपायुक्त को जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) का पदनाम दिया गया है। जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) प्रस्तावों को एकत्रित करके इसे जिला परिषद से अनुमोदित करवाते हैं। जिला परिषद के अनुमोदन उपरान्त जिला कार्यक्रम अधिकारी

प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा न्यूनतम 50 प्रतिशत कार्यों का निष्पादन किया जा सकता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (रू0 लाखों में)

(रू0 लाखों में)

A	भौतिक प्रगति	चम्बा	सिरमौर	कांगडा	मण्डी	बिलासपुर	हमीरपुर	किन्नौर	कुल्लू	ला0 एवं स्पिति	शिमला	सोलन	ऊना	राज्य स्तर	योग
1	कुल परिवारों की संख्या जिन्हें जॉब कार्ड जारी किये	110527	80190	250960	236825	73718	85355	17649	88792	6519	117648	73109	61668	0	1202960
2	रोजगार मांगने वाले कुल परिवारों की संख्या	72957	34027	104322	133330	28048	26134	9702	48004	2953	50919	19916	20452	0	550764
3	कुल परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया गया	68367	31076	95255	125792	25013	23853	9179	45878	2779	47419	17919	18837	0	511367
4	कुल अर्जित कार्यदिवस [लाखों मे]	34.87	14.74	37.20	56.04	10.29	8.99	3.45	18.32	0.97	19.02	7.55	8.62	0	220.06
5	अनुसूचित जाति द्वारा अर्जित कार्यदिवस	7.31	4.72	9.72	14.90	2.67	2.77	1.33	5.56	0.09	6.07	2.81	3.28	0	61.23
6	प्रतिशतता	21	32	26	27	26	31	39	30	9	32	37	38	0	28
7	अनुसूचित जन–जाति द्वारा अर्जित कार्यदिवस	9.90	0.15	2.47	0.45	0.32	0.08	2.00	0.19	0.88	0.08	0.09	0.2	0	16.81
8	प्रतिशतता	28	1	7	1	3	1	58	1	91	0	1	2	0	8
9	महिलाओं द्वारा अर्जित कार्यदिवस	17.61	5.71	26.41	40.63	6.17	6.95	2.33	9.96	0.65	9.82	3.32	5.95	0	135.51
10	प्रतिशतता	51	39	71	73	60	77	68	54	67	52	44	69	0	61.58
11	100 दिनों का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या	3026	1512	1207	3838	606	429	162	1402	42	745	486	639	0	14094
12	कुल कार्यों की संख्या	15992	9146	29036	35326	10477	6966	2141	18934	1179	16664	5401	7119	0	158381
13	पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या	7369	4900	11205	14977	4789	2423	369	7677	159	7013	2285	3229	0	66395
14	प्रतिशतता	46	54	39	42	46	35	17	41	13	42	42	45	0	462
15	प्रगति पर कार्यों की संख्या	8623	4246	17831	20349	5688	4543	1772	11257	1020	9651	3116	3890	0	91986
B	वित्तीय प्रगति	चम्बा	सिरमौर	कांगडा	मण्डी	बिलासपुर	हमीरपुर	किन्नौर	कुल्लू	ला0 एवं स्पिति	शिमला	सोलन	ऊना	राज्य स्तर	योग
1	आरम्भिक शेष 1.4.2015	1.24	0.02	0.01	34.21	3.19	0.01	0.94	0.88	1.18	46.23	0.18	0.18	15	103.27
2	निर्मुक्त /ईएफएमएस खातों से आहरित राशि (लाखों मे)	8669.76	4349.22	10622.69	12478.74	2834.08	2331.11	1193.33	4437.50	359.81	5060.94	2054.34	2622.28	156.27	57170.07
3	विविध प्राप्तियां (**Tentative**)	2.06	3.76	4.97	0.43	0.04	0.03	0.00	1.02	0.00	2.44	0.00	0.36	52.94	68.05
4	जिलों द्वारा लौटाई गई राशि	2.30	3.74	4.97	0.00	3.12	0.01	0.42	1.01	0.76	3.31	0.00	0.39	0	20.03
5	कुल उपलब्ध राशि	8670.76	4349.26	10622.70	12513.38	2834.19	2331.14	1193.85	4438.39	360.23	5106.30	2054.52	2622.43	0	57097.15
6	कुल व्यय	8607.37	4305.50	10589.73	12435.86	2820.61	2319.31	1193.48	4414.00	359.86	5049.86	2042.20	2605.42	151.34	56894.54
7	प्रतिशतता	99	99	100	99	100	99	100	99	100	99	99	99	0	100
8	अकुशल मजदूरी पर व्यय	6439.14	2663.54	6548.69	9805.19	1936.07	1508.02	1036.77	2983.18	314.55	3601.22	1344.45	1518.37	0	39699.19
9	सामग्री पर व्यय	1955.02	1517.10	3663.62	2281.95	794.79	721.23	108.04	1338.33	20.15	1283.89	611.28	985.26	0	15280.66
10	जिलों द्वारा अग्रिम /लोन का लौटाना	2.30	3.74	4.97	0.00	3.12	0.01	0.42	1.01	0.76	3.31	0.00	0.39	0	20.03
11	प्रशासनिक व्यय [लाखों मे]	213.22	124.86	377.41	348.71	89.76	90.06	48.67	92.50	25.17	164.72	86.47	101.79	151.34	1914.68

7. प्रधानमंत्री आवास योजना –(ग्रामीण):–

1. परिचयः–

मानव जीवन के लिए आवास एक मूलभूत आवश्यकता है। किसी भी परिवार के लिए उसके पास आवास का होना उसे सामाजिक एवम आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है । इस बारे भारत सरकार द्वारा अनेकों प्रयास किये गए है तथा इसी दिशा में वर्ष 1985 में इन्दिरा आवास योजना को आरम्भ किया गया जो अनुसूचित जाति , अनुसूचितजनजाति एव बन्धुआ मजदूरों के लिए संचालित की गई थी तथा वर्ष 1996 से इसे समाज के दूसरे सभी वर्गो के लिए कियान्वित किया जाने लगा । भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 से इसे पुन–सरचितं करके इसके स्थान पर एक नई योजना '' प्रधानमन्त्री आवास योजना – ग्रामीण'' को आरम्भ किया गया है ।

2. प्रचलन :

1) उददे य : योजना का मुख्य उददेश्य सामाजिक एवम आर्थिक जनगणना 2011 के आंकडों के आधार पर गृहहीन परिवारों को आवास उपलब्ध करवाना है ।

2) घटक : सामाजिक एवम आर्थिक जनगणना 2011 के आंकडों के आधार पर गृहहीन परिवार ।

3)दृश्टिकोण और योजनाः चयनित किए गए परिवारों को सम्बधित ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन व योजना को आनलाइन कियान्वयन एम0आई0एस0 आवाससोफट के आधार पर करना है।

4) **लागत मानदण्ड** : पहाडी प्रदेशों में मु0 1.30 लाख रू0 प्रति इकाई की दर से ।

3. प्रधानमन्त्री आवास योजना (ग्रामीण) की मुख्य वि ाशताएं :

- प्रधानमन्त्री आवास योजना (ग्रामीण) वर्ष 2016–17 में पहले से चली आ रही इन्दिरा आवास योजना के स्थान पर चलाई गई। प्रधानमन्त्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थियों का चयन सामाजिक एवम आर्थिक जनगणना 2011 के आंकडों के आधार पर किया जाता है।
- योजना के अन्तगर्त वित पोषण केन्द्र व राज्य सरकार के मध्य में 90: 10 के अनुपात में हो रहा है।
- योजना के अन्तगर्त चयनित स्थान का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है जिसमें रसोई घर का क्षेत्र भी शामिल है।
- योजना के अन्तर्गत शौचालय निर्माण के लिए मनरेगा अथवा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से करने का भी प्रावधान है।
- उपरोक्त सहायता राशि के अलावा मनरेगा से 90/95 दिनों का गृह निर्माण हेतु अकुशल कामगार के वेतन का भी प्रावधान है। सरकार की अन्य योजनाओं के साथ समन्वय कर लाभार्थी को मुलभूत सुविधाएं जैसे कि शौचालय , पीने हेतु पानी , बिजली , रसोई के लिए ईर्धन व ठोस एवम तरल कचरा प्रबन्धन का भी प्रावधान है।
- लाभार्थियो को इलैक्टोनकि माध्यम से भुगतान बैक / डाकघर के माध्यम से किया जाता है तथा लाभार्थियों का खाता आधार से जोडा गया है ।
- योजना के अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा स्थानीय सामग्री , प्रशिक्षित राजमिस्त्री द्वारा गुणात्मक गृह का निर्माण करने का भी प्रावधान है ।
- ग्राम पंचायत/विकास खण्ड/जिला को इकाई मानते हुए Saturation Appraoch (सैचुरेशन अप्रोच) को जहां सम्भव हो , अपनाने का प्रयास किया गया है। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए 60 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारत किए जाने का प्रावधान है।

- इसके अतिरिक्त 2011 के जनगणना के आंकडो के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए राष्टीय स्तर पर 15 प्रतिशत का प्रावधान है परन्तु इस प्रावधान को राज्य स्तर पर अल्पसंख्यंकों की जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है ।
- दिसम्बर , 2016 में भारत सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए भी संशोधित अधिनियम दिवयाग अधिनियम , 2005 के अनुसार आरक्षण का प्रावधान 3 से 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

वर्ष 2017–18 में प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

(नये मकानों का निर्माण)

क्र0 सं0	जिला का नाम	लक्ष्य	उपलब्धी (दिनांक 06–11–2018)	व्यय (राशि लाख रू0 में)
1.	बिलासपुर	46	22	108.81
2.	चम्बा	778	324	938.47
3.	हमीरपूर	77	0	95.68
4.	कांगड़ा	452	240	738.01
5.	किन्नौर	55	8	167.96
6.	कुल्लू	93	7	188.37
7.	लाहौल–स्पिति	66	1	122.20
8.	मण्डी	91	36	144.56
9.	शिमला	82	20	124.15
10.	सिरमौर	374	289	577.46
11.	सोलन	182	68	327.99
12.	ऊना	215	104	353.47
कुल योग		2511	1119	3887.13

वर्ष 2017–18 में प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

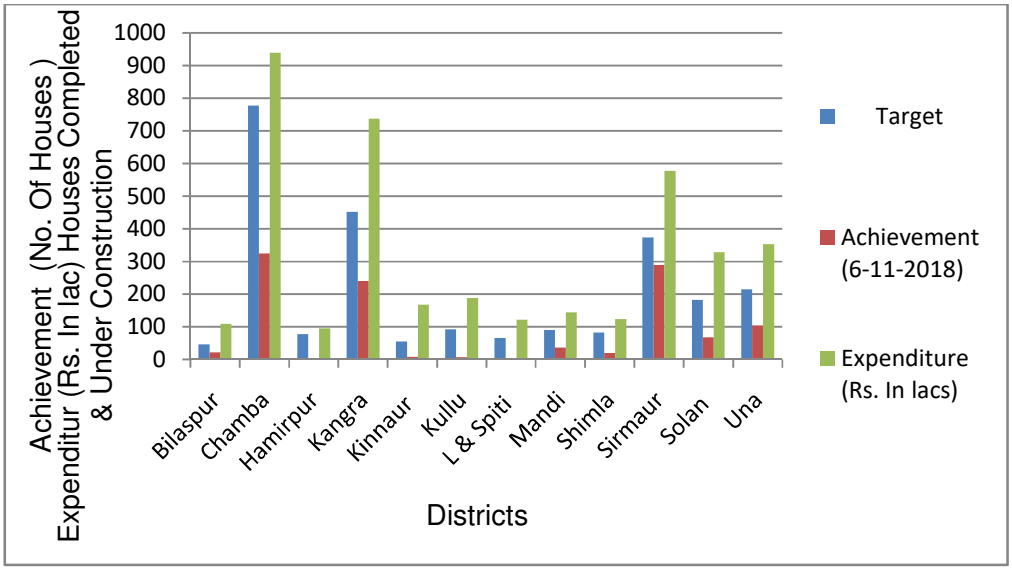

5. राजीव आवास योजनाः–

1. परिचयः–

मानव जीवन के लिए आवास एक मूलभूत आवश्यकता है। किसी भी परिवार के लिए उसके पास आवास का होना उसे सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के प्रयासों को आगें बढाने की दिशा में राजीव आवास योजना को वर्ष 2003–04 के दौरान आरम्भ किया गया था।

2. प्रचलन :

1) उददे□यः योजना का मुख्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को आवास उपलब्ध करवाना है ।

2) घटक : बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2002 तथा जो 2018 में अपडेट किया गया – के आधार पर ।

3) दृश्टिकोण और योजना : चयनित किए गए परिवारों को सम्बधित ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन व योजना का क्रियान्वयन केन्द्रीय योजना के आधार पर करने की योजना ।

4) **लागत मानदण्ड** : मु0 1.30 लाख रू0 प्रति इकाई की दर से ।

3. राजीव आवास योजना की मुख्य वि□ाशताएं :

- राजीव आवास योजना वर्ष 2003–04 से 2008–09 तक तथा 2013–14 से 2017–18 तक क्रियान्वित की जा रही थी ।
- यह योजना राज्य सरकार के अपने संसाधनों से वित पोषित की जा रही है ।
- योजना के अन्तगर्त ग्रामीण क्षेत्रों के बी0पी0एल0 परिवारों को लाभान्वित किया जाता है ।
- योजना का क्रियान्वयन तत्कालीन इन्दिरा आवास योजना की पद्वति के आधार पर किया जा रहा था।
- योजना के अन्तगर्त चयनित स्थान का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है जिसमें रसोई घर का क्षेत्र भी शामिल है ।
- योजना के अन्तर्गत शौचालय निर्माण के लिए मनरेगा अथवा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से करने का भी प्रावधान है ।
- उपरोक्त सहायता राशि के अलावा मनरेगा से 90/95 दिनों का गृह निर्माण हेतु अकुशल कामगार के वेतन का भी प्रावधान है । सरकार की अन्य योजनाओं के साथ समन्वय कर लाभार्थी को मुलभूत सुविधाएं जैसे कि शौचालय , पीने हेतु पानी , बिजली , रसोई के लिए ईर्धन व ठोस एवम तरल कचरा प्रबन्धन का भी प्रावधान है ।
- लाभार्थियो को इलैक्टोनकि माध्यम से भुगतान बैक/डाकघर के माध्यम से किया जाता है तथा लाभार्थियों का खाता आधार से जोडा गया है ।
- लाभार्थी द्वारा स्थानीय सामग्री , प्रशिक्षित राजमिस्त्री द्वारा गुणात्मक गृह का निर्माण किया जाए । इस ओ भी ध्यान दिया गया है ।
- ग्राम पंचायत/ विकास खण्ड/जिला को इकाई मानते हुए Saturation Appraoch (सैचुरेशन अप्रोच) को जहां सम्भव हो , अपनाने का प्रयास किया गया है। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों उपलब्ध करवाए गए बजट के आधार पर लक्ष्य निर्धारत किए जाने का प्रावधान है ।

वर्श 2017–18 के दौरान जिलावार भौतिक एवम वित्तिय प्रगति

क्र0 सं0	जिला का नाम	लक्ष्य	उपलब्धी	व्यय (राशि लाख रू0 में)
1.	बिलासपुर	**48**	**37**	**56.48**
2.	चम्बा	**133**	**164 (Including spill over)**	**98.96**
3.	हमीरपूर	**58**	**15**	**38.88**
4.	कांगड़ा	**180**	**176**	**235.06**
5.	किन्नौर	**14**	**3**	**8.45**
6.	कुल्लू	**33**	**14**	**14.96**
7.	लाहौल–स्पिति	**17**	**3**	**11.50**
8.	मण्डी	**127**	**87**	**129.95**
9.	शिमला	**92**	**65**	**84.50**
10.	सिरमौर	**45**	**11**	**42.60**
11.	सोलन	**51**	**30**	**47.35**
12.	ऊना	**48**	**83**	**100.114**
	कुल योग	**846**	**688**	**868.804**

वर्श 2017–18 के दौरान जिलावार भौतिक एवम वित्तिय प्रगति

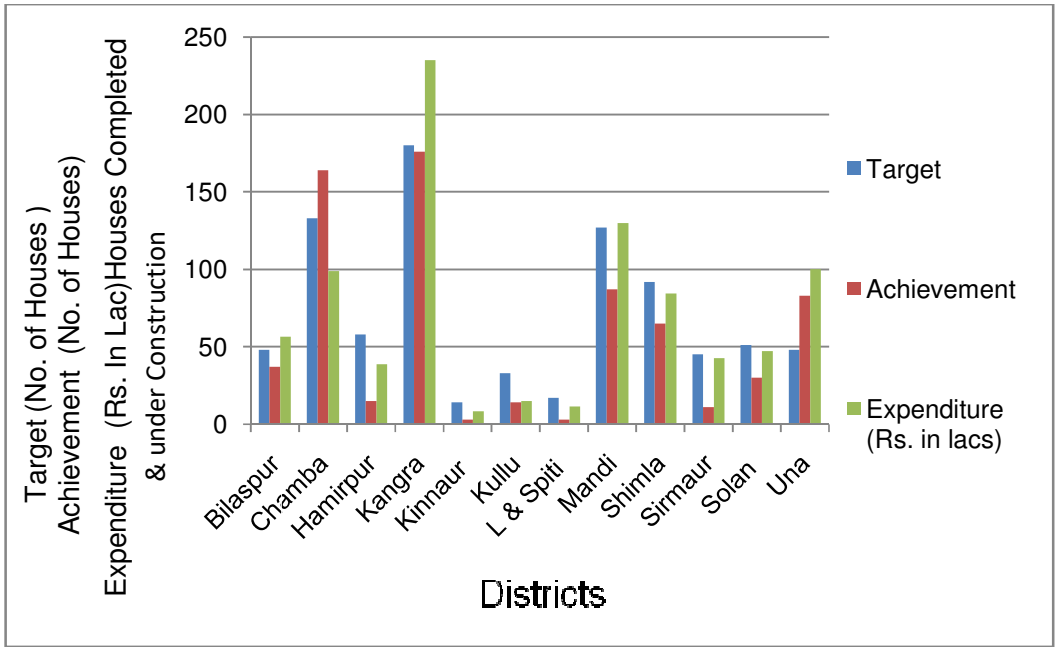

6. मुख्यमन्त्री आवास योजना : –

1. **परिचयः**– मानव जीवन के लिए आवास एक मूलभूत आवश्यकता है। किसी भी परिवार के लिए उसके पास आवास का होना उसे सामाजिक एवम आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के प्रयासों को आगें बढाने की दिशा में मुख्यमन्त्री आवास योजना को वर्ष 2016– 17 से सामान्य श्रेणी के परिवारों के लिए आरम्भ किया गया था जिसे वर्ष 2018–19 से सभी श्रेणियों के लिए आरम्भ किया गया है ।

2. **प्रचलन :**

1) उददे□य : योजना का मुख्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी श्रेणी के परिवारों को आवास उपलब्ध करवाना है ।

2) घटक : बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2002 तथा जो 2018 में अपडेट किया गया – के आधार पर।

3) दृश्टिकोण और योजना : चयनित किए गए परिवारों को सम्बधित ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन व योजना का क्रियान्वयन केन्द्रीय योजना के आधार पर करने की योजना।

4) **लागत मानदण्ड** : मु0 1.30 लाख रू0 प्रति इकाई की दर से।

3. मुख्यमन्त्री आवास योजना की मुख्य वि□ोशताएं :

- मुख्यमन्त्री आवास योजना वर्ष 2016–17 से क्रियान्वित की जा रही है ।
- यह योजना राज्य सरकार के अपने संसाधनों से वित पोषित की जा रही है ।
- योजना के अन्तगर्त ग्रामीण क्षेत्रों के बी0पी0एल0 परिवारों को लाभान्वित किया जाता है ।
- योजना का क्रियान्वयन तत्कालीन प्रधानमन्त्री आवास योजना– ग्रामीण की पद्वति के आधार पर किया जा रहा है ।
- योजना के अन्तगर्त चयनित स्थान का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है जिसमें रसोई घर का क्षेत्र भी शामिल है ।
- योजना के अन्तर्गत शौचालय निर्माण के लिए मनरेगा अथवा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से करने__ का भी प्रावधान है ।
- उपरोक्त सहायता राशि के अलावा मनरेगा से 90/95 दिनों का गृह निर्माण हेतु अकुशल कामगार के वेतन का भी प्रावधान है । सरकार की अन्य योजनाओं के साथ समन्वय कर लाभार्थी को मुलभूत सुविधाएं जैसे कि शौचालय , पीने हेतु पानी , बिजली , रसोई के लिए ईर्धन व ठोस एवम तरल कचरा प्रबन्धन का भी प्रावधान है ।
- लाभार्थियो को इलैक्टोनकि माध्यम से भुगतान बैक / डाकघर के माध्यम से किया जाता है तथा लाभार्थियों का खाता आधार से जोडा गया है ।
- योजना के अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा स्थानीय सामग्री , प्रशिक्षित राजमिस्त्री द्वारा गुणात्मक गृह का निर्माण करने का भी प्रावधान है ।

ग्राम पंचायत/विकास खण्ड/जिला को इकाई मानते हुए Saturation Appraoch (सैचुरेशन अप्रोच) को जहां सम्भव हो , अपनाने का प्रयास किया गया है । योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों उपलब्ध करवाए गए बजट के आधार पर लक्ष्य निर्धारत किए जाने का प्रावधान है ।

वर्श 2017–18 के दौरान जिलावार भौतिक एवम वित्तिय प्रगति

क्र0 सं0	जिला का नाम	लक्ष्य	उपलब्धी	व्यय (राशि लाख रू0 में)
1.	बिलासपुर	**146**	**112**	**114.605**
2.	चम्बा	**296**	**313 (Including spill over)**	**235.97**
3.	हमीरपूर	**174**	**32**	**154.675**
4.	कांगड़ा	**582**	**212**	**397.46**
5.	किन्नौर	**0**	**0**	**0.00**
6.	कुल्लू	**82**	**0**	**0.00**
7.	लाहौल–स्पिति	**0**	**0**	**0.00**
8.	मण्डी	**380**	**237**	**365.58**
9.	शिमला	**268**	**198**	**257.40**
10.	सिरमौर	**116**	**32**	**100.52**
11.	सोलन	**118**	**84**	**112.45**
12.	ऊना	**145**	**229 (Including spill over)**	**283.80**
कुल योग		**2307**	**1449**	**2022.46**

वर्श 2017–18 के दौरान जिलावार भौतिक एवम वित्तिय प्रगति

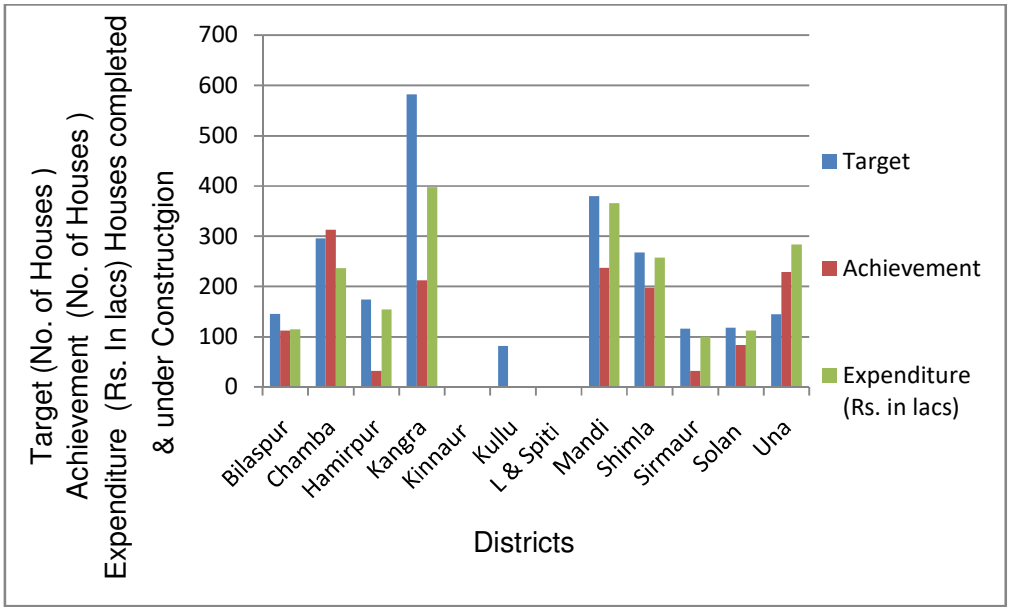

1. राजीव आवास मुरम्मत योजना : –

परिचयः–राज्य सरकार ने वर्ष 2015– 16 के दौरान सामान्य श्रेणी के बी0पी0एल0 परिवारों के आवासों की मुरम्मत करने के लिए राजीव आवास मुरम्मत योजना को आरम्भ किया था जिसे वर्ष 2017–18 से सभी वर्गो के लिए आरम्भ किया गया ।

2. प्रचलन :

1) उददे□यः योजना का मुख्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के आवासों की मुरम्मत करना है ।

2) घटक : बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2002 तथा जो 2018 में अपडेट किया गय – के आधार पर ।

3) दृश्टिकोण और योजना : चयनित किए गए परिवारों का सम्बधित उपमण्डल अधिकारी की अघ्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा चयन जिसमें अन्य सदस्य सम्बधित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी व सहायक अभियन्ता (विकास) होगें तथा योजना का क्रियान्वयन विभाग के ग्रामीण स्तर के कार्मिको के माध्यम से किया जाता है ।

4) **लागत मानदण्ड** : मु0 0.25 लाख रू0 प्रति इकाई की दर से ।

3. राजीव आवास मुरम्त योजना की मुख्य वि□ाशताएं :

- योजना के अन्तगर्त आवेदकों द्वारा मकान की मुरम्मत हेतु सहायता धनराशि प्राप्त करने के लिए आवेदनपत्र सम्बधित खण्ड विकास कार्यालय/ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत किये जाते है।
- सहायक अभियन्ता (विकास) मकान के मुरम्मत हेतु तकनीकी रिर्पोट तैयार करते है। उसको इस कार्य के लिए खण्ड विकास कार्यालय/ग्राम पंचायत में तैनात तकनीकी कर्मचारियों द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है ।
- स्टेटस रिर्पोट को उपरोक्त गठित कमेटी में विचारा जाता है तथा लाभार्थियों की अंतिम सूचि को खण्ड विकास कार्यालय में आवंटित लक्ष्य अनुसार तैयार किया जाता है ।
- केवल सही/जरूरतमन्द व जिनके मकान को तुरन्त मुरम्मत की आवश्यकता है, को विचारा जाता है तथा सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना के अन्तर्गत मकानों की दीवारें,फर्श ,रसोई ,बरामदा व शौचालय की मुरम्मत । छत की मुरम्मत/प्रतिस्थापन आदि कार्य किये जा सकते है ।
- योजना के अन्तगर्त पुराने ,जर्जर व जीर्णशीर घर की हालात ऐसी होनी चाहिए कि इसे मुरम्मत करने से सुधारा जा सके व रहने योग्य बनाया जा सके ।
- यदि सहायता राशि ऐसे लाभार्थीयों को दी जा रही है जिन्होनें इन्दिरा आवास योजना/अटल आवास योजना/राजीव आवास योजना व केन्द्र व राज्य सरकार की अन्य आवासीय योजनाओं के अन्तगर्त पूर्व में मकान का निर्माण किया हो तो ऐसे मामलों में पूर्व में पूर्ण किए गए मकान की अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।
- योजना के अन्तगर्त उपयोग/वितरित की गई धनराशि का का समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र मुरम्मत कार्य के पूरा होने पर प्रस्तुत किया जाता है ।

- योजना का कार्यान्यवन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/खण्ड विकास अधिकारियों/ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा ।
- सहायक अभियन्ता (विकास) मकान के मुरम्मत हेतु तकनीकी रिर्पोट तैयार करते है। उसको इस कार्य के लिए खण्ड विकास कार्यालय/ग्राम पंचायत में तैनात तकनीकी कर्मचारियों द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। स्टेटस रिर्पोट को उपरोक्त गठित कमेटी में विचारा जाता है तथा लाभार्थियों की अंतिम सूचि को खण्ड विकास कार्यालय में आवंटित लक्ष्य अनुसार तैयार किया जाता है ।

वर्श 2017–18 के दौरान जिलावार भौतिक एवम वित्तिय प्रगति

क्र0 सं0	जिला का नाम	लक्ष्य	उपलब्धी	व्यय (राशि लाख रू0 में)
1.	बिलासपुर	**76**	**28**	**10.935**
2.	चम्बा	**154**	**84**	**13.50**
3.	हमीरपूर	**90**	**7**	**4.875**
4.	कांगड़ा	**303**	**197**	**57.125**
5.	किन्नौर	**0**	**7(Including spill over)**	**4.75**
6.	कुल्लू	**43**	**17**	**2.75**
7.	लाहौल–स्पिति	**0**	**0**	**0**
8.	मण्डी	**198**	**159**	**38.37**
9.	शिमला	**139**	**116**	**29.00**
10.	सिरमौर	**60**	**7**	**7.25**
11.	सोलन	**61**	**52**	**17.25**
12.	ऊना	**76**	**122(Including spill over)**	**25.15**
	कुल योग	**1200**	**796**	**210.955**

वर्श 2017–18 के दौरान जिलावार भौतिक एवम वित्तिय प्रगति

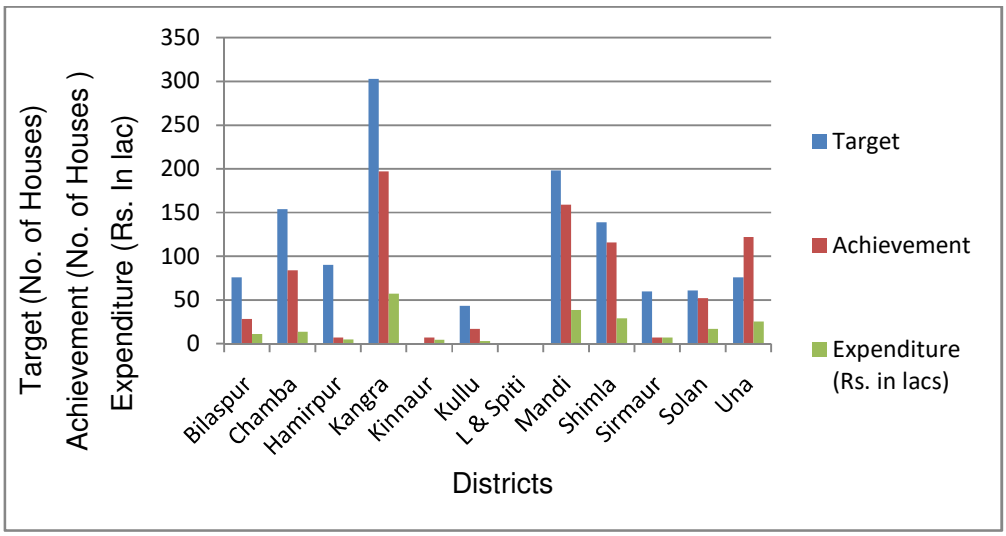

8. मातृ शक्ति बीमा योजना

1. परिचयः—मातृ शक्ति बीमा योजना को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000—01 से आरम्भ किया गया था जिसका मूल उददेश्य निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की महिलाओं के लिए मुपत में बीमा कवर सुनिश्चित करना है ।

2. **प्रचलन :**

1) उददे□य :मातृ शक्ति बीमा योजना का मूल उददेश्य निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की महिलाओं के लिए मुपत में बीमा कवर सुनिश्चित करना है ।

2) घटक : बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2002 तथा जो 2018 में अपडेट किया गया — के आधार पर ।

3) दृश्टिकोण और योजनाः यह योजना उन बी0पी0एल0 परिवारों के लिए है जिनकी महिला सदस्य जो 10 —75 आयु वर्ग में होती है तथा जिनकी किसी प्रकार की दुर्घटना में , सर्जिकल आपरेशन से , सांप , बिच्छु अथवा किसी अन्य कीडें के काटने से , बाढ में डूबने से , भूकम्प, प्रसव अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है — को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।

4) **लागत मानदण्ड** : दिनांक 1 अप्रैल , 2017 से इस योजना के अन्तर्गत मुत्यु होने पर तथा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर , एक अंग अथवा एक आंख , दोनो आंखें व दोनो अंग के नुकसान होने पर मु0 2.00 लाख रू0 प्रदान करने की वृद्वि की गई है । इसके अतिरिक्त एक आंख अथवा एक अंग के नुकसान पर मु0 1.00 लाख रू.0 की धनराशि प्रदान की जाती है ।

3. मातृ भाक्ति बीमा योजना की मुख्य वि□ोशताएं :

- मातृ शक्ति बीमा योजना का मूल उददेश्य निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की महिलाओं के लिए मुपत में बीमा कवर सुनिश्चित करना है ।
- यह योजना उन बी0पी0एल0 परिवारों के लिए है जिनकी महिला सदस्य जो 10 —75 आयु वर्ग में होती है तथा जिनकी किसी प्रकार की दुर्घटना में , सर्जिकल आपरेशन से , सांप , बिच्छु अथवा किसी अन्य कीडें के काटने से , बाढ में डूबने से , भूकम्प, प्रसव अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है — को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।
- योजना के अन्तर्गत विवाहित महिलाओं के परिवार की उपरोक्त कारणों से मृत्यु होने पर भी लाभ प्रदान किया जाता है ।
- दिनांक 1 अप्रैल , 2017 से इस योजना के अन्तर्गत मुत्यु होने पर तथा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर , एक अंग अथवा एक आंख , दोनो आंखें व दोनो अंग के नुकसान होने पर मु0 2.00 लाख रू0 प्रदान करने की वृद्वि की गई है । इसके अतिरिक्त एक आंख अथवा एक अंग के नुकसान पर मु0 1.00 लाख रू.0 की धनराशि प्रदान की जाती है ।
- योजना के अन्तर्गत प्रभावित बी0पी0एल0 परिवार द्वारा इस बारे सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने पर जिला स्तर पर मामला उपायुक्त को उनकी स्वीकृति हेतु भेजा जाता है जहां से इस बारे मामलों की संख्या तथा वांछित धनराशि की सूचना निदेशालय को भेजी जाती है जो इस बारे मांगी गई धनराशि का स्वीकृति आदेश जिले को उनकी मांग के सन्दर्भ में भेजा देता है तथा धनराशि का सरकारी कोष से आहरण करने के बाद यह धनराशि सम्बधित खण्ड विकास अधिकारी को भेजी जाती है जहां से इसे सम्बधित परिवार के सदस्य जो भी उतरधिकारी हो—को वितरित किया जाता है ।

- यह योजना जैसा कि आप जानते है–एक मांग आधारित है। इसलिए इसमें जैसे जैसे मांग के अनुसार मामले आते है–धनराशि रिलीज कर दी जाती है।

वर्ष 2017–18 के दौरान जिलावार लाभान्वित परिवारों की सख्ंया

क्र0सं0	जिला का नाम	परिवार लाभान्वित	धनराशि वितरित की गई(लाखों में)
1.	बिलासपुर	**0**	**0.00**
2.	चम्बा	**0**	**0.00**
3.	हमीरपूर	**02**	**04.00**
4.	कांगड़ा	**33**	**42.00**
5.	किन्नौर	**08**	**14.00**
6.	कुल्लू	**0**	**0.00**
7.	लाहौल–स्पिति	**02**	**3.00**
8.	मण्डी	**21**	**27.00**
9.	शिमला	**33**	**33.00**
10.	सिरमौर	**04**	**8.00**
11.	सोलन	**03**	**6.00**
12.	ऊना	**03**	**5.00**
कुल योग		**109**	**142.00**

वर्ष 2017–18 के दौरान जिलावार लाभान्वित परिवारों की सख्ंया

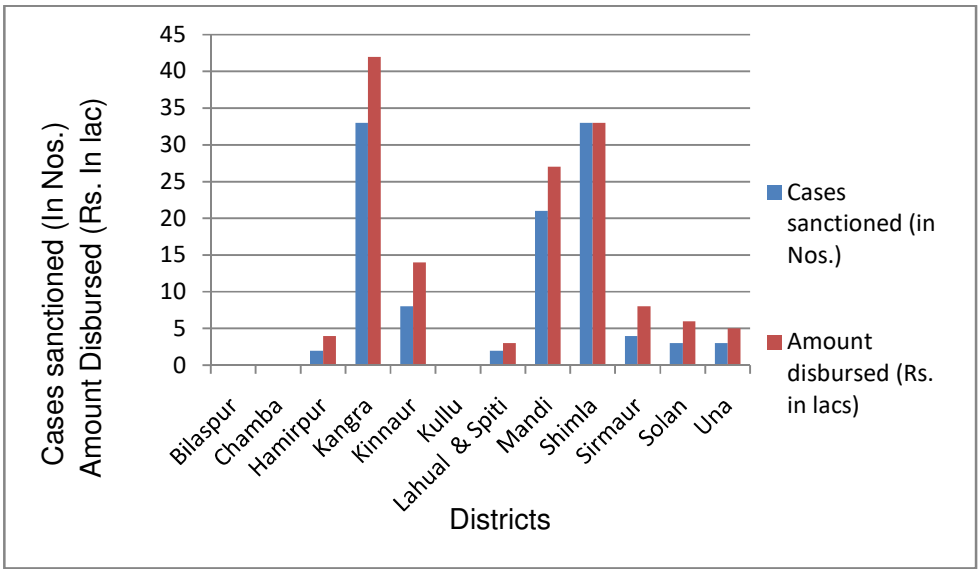

9. प्रधानमंत्री कृशि सिंचाई योजना –डब्ल्यू डी0सी0(पूर्व में एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम)

परिचयः– भारत सरकार द्वारा बंजर भूमि, सूखा प्रवण रेगिस्तानी क्षेत्रों को विकसित करने और प्राकृतिक संसाधनों, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, सामुदायिक सशक्तिकरण और मानव और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य आर्थिक संसाधनों के विकास के लिए पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के उददेश्यों के साथ चरम जलवायु परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए, ग्रामीण विकास विभाग वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा जारी वाटरशैड परियोजनाओं के सामान्य दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में एकीकृत जलग्रहण विकास घटक–प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना (पूर्व में एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम)2008 को लागू कर रहा है। भारत सरकार द्वारा मु0 1259.958 करोड़ रू0 की धनराशि 839972 है0 क्षे0 करे विकसित करने के लिए स्वीकृत की गई । 31,12,472 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए परिप्रेक्ष्य और सामरिक योजना मु0 4668 करोड़ रू0 की लागत की योजना तैयार कर भारत सरकार को मार्च 2009 के दौरान दे दी है। प्रारम्भिक परियोजना रिर्पोट (पी0पी0आर0) परिप्रेक्ष्य और रणनीतिक योजना के आधार पर भारत सरकार ने जलागम एकीकृत प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वर्ष 2015–16 के दौरान एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम को नई योजना का एक घटक बनाया गया है जिसका नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना रख गया है। राज्य कृषि विभाग को इसके कार्यन्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है।

प्रचलनः–

(क) उददे□य :– वाटरशैड दृष्टिकोण के माध्यम से वर्षा क्षेत्र का विकास।

(ख) घटक :– मिटटी और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, अपवाह प्रबंधन और उपचार अैर आजीविका समर्थन गतिविधियां।

(ग) दृश्टिकोण और योजना :– वाटरशैड परियोजनाओं के लिए क्षेत्र आधारित और कार्यन्वयन की प्राथमिकता।

(घ) लागत मानदंड :– वाटरशैड विकास परियोजनाओं के लिए नए सामान्य दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रति हेक्टेयर मु 6000/–रू0 के स्थान पर मु0 15000/– रू0 राज्य के लिए स्वीकृत किए गए। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी 90:10 प्रति हेक्टेयर के अनुपात में तय की गई है।

प्रधानमन्त्री कृशि सिंचाई योजना की मुख्य वि□ाशताएंः–

- एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम की सभी मोजूदा गतिविधियां, प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना जारी रहेगी।
- तकनीकी आवश्यकताएं /मानक, प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उठाए जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की सहायता का पैटर्न संबन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए संम्बन्धित कार्यक्रम घटक के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
- इस स्तर पर कोई नई वाटरशैड परियोजनाएं नहीं ली जाएंगी।
- वाटरशैड परियोजनाओं की संतृप्ति के लिए प्राथमिकता दी जानी है जो पूरा होने वाली है।
- प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना, जल संरक्षण से सम्बन्धित सभी ग्रामीण परिसम्पतियों /अवसंरचना आधारित कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना है।

विभाग को वर्ष 2009–10 से 2014–2015 तक प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना (पूर्व में एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम) में 163 नई परियोजनाएं स्वीकृत हुई है। वर्ष 2017–18 (माह मार्च, 2018) के लिए जारी चरण बार में प्राप्त धनराशि, व्यय की गई धनराशि तथा उपचारित क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :–

(रू0 लाख तथा क्षेत्र है0 में)

प्रथम चरण

क0 सं0	जिला का नाम	परियोजना का नाम	शेष राशि 1.4.2017	वर्ष 2017–18 में प्राप्त की गई राशि		विविध प्राप्ति	कुल प्राप्त धनरा□ि	व्यय	भौतिक उपलब्धियॉ
				केन्द्रीय भाग	राज्य भाग				
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	बिलासपुर	आई.डब्लयू.एम.पी.. I	17.231	45.864	5.096	0.465	68.656	18.960	4
		आई.डब्लयू.एम.पी.. II	33.986	8.820	0.980	3.023	46.809	21.235	115
		आई.डब्लयू.एम.पी.. III	9.323	17.640	1.960	0.268	29.192	4.896	32
		योग	**60.540**	**72.324**	**8.036**	**3.756**	**144.657**	**45.091**	**151**
2	चम्बा	आई.डब्लयू.एम.पी.. I	63.924	52.920	5.880	0.2126	122.936	60.3468	217
		आई.डब्लयू.एम.पी.. II	41.254	30.870	3.430	0.0372	75.591	42.7481	212
		आई.डब्लयू.एम.पी.. III	34.688	13.230	1.470	0.135	49.523	35.493	127
		योग	**139.866**	**97.020**	**10.780**	**0.3848**	**248.05**	**138.5879**	**556**
3	हमीरपुर	आई.डब्लयू.एम.पी.. I	39.953	17.640	1.960	1.840	61.393	25.280	192
		आई.डब्लयू.एम.पी.. II	48.915	17.640	1.960	4.410	72.925	39.030	397
		योग	**88.868**	**35.28**	**3.92**	**6.25**	**134.318**	**64.31**	**589**
4	कांगड़ा	आई.डब्लयू.एम.पी.. I	71.187	13.230	1.470	0.346	86.232	47.313	353
		आई.डब्लयू.एम.पी.. II	74.053	13.230	1.470	0.473	89.226	49.008	438
		आई.डब्लयू.एम.पी.. III	46.484	13.230	1.470	0.590	61.774	30.107	374

		आई.डब्लयू.एम.पी.. IV	76.528	13.230	1.470	0.605	91.833	44.792	634
		आई.डब्लयू.एम.पी.. V	73.526	13.230	1.470	0.465	88.690	51.258	423
		योग	**341.778**	**66.150**	**7.350**	**2.479**	**417.755**	**222.478**	**2222**
5	किन्नौर	आई.डब्लयू.एम.पी.. I	27.735	17.640	1.960	0.370	47.705	19.040	57
		आई.डब्लयू.एम.पी.. II	20.815	26.460	2.940	0.560	50.775	13.620	27
		आई.डब्लयू.एम.पी.. III	5.673	26.460	2.940	1.110	36.183	11.540	0
		योग	**54.223**	**70.56**	**7.84**	**2.04**	**134.663**	**44.200**	**84**
6	कुल्लू	आई.डब्लयू.एम.पी.. I	14.749	23.814	2.646	1.160	42.369	13.220	147
		योग	**14.749**	**23.814**	**2.646**	**1.160**	**42.369**	**13.220**	**147**
7	लाहौल–स्पिति	आई.डब्लयू.एम.पी.. I	93.511	0.000	0.000	0.470	93.981	60.180	328
		आई.डब्लयू.एम.पी.. II	68.168	0.000	0.000	3.020	71.188	65.890	535
		योग	**161.679**	**0.0**	**0.0**	**3.49**	**165.169**	**126.07**	**863**
8	मण्ड़ी	आई.डब्लयू.एम.पी.. I	49.339	44.100	4.900	0.344	98.683	34.037	147
		आई.डब्लयू.एम.पी.. II	59.230	44.100	4.900	0.794	109.024	36.981	0
		आई.डब्लयू.एम.पी.. III	101.807	0.000	0.000	0.759	102.567	20.238	0
		आई.डब्लयू.एम.पी.. IV	23.010	59.094	6.566	0.873	89.543	26.227	0
		योग	**233.386**	**147.294**	**16.366**	**2.77**	**399.817**	**117.483**	**147**
9	ि◌ामला	आई.डब्लयू.एम.पी.. I	70.101	0.000	0.000	0.748	70.849	29.310	196
		आई.डब्लयू.एम.पी.. II	60.377	0.000	0.000	0.335	60.712	28.990	193
		आई.डब्लयू.एम.पी.. III	71.685	0.000	0.000	0.134	71.819	24.870	166
		आई.डब्लयू.एम.पी.. IV	41.947	0.000	0.000	0.259	42.207	40.080	267
		आई.डब्लयू.एम.पी.. V	84.366	0.000	0.000	0.332	84.697	21.880	146
		आई.डब्लयू.एम.पी.. V I	11.434	47.628	5.292	0.544	64.898	20.060	134
		आई.डब्लयू.एम.पी..V II	33.924	0.00	0.00	0.245	34.169	24.540	164
		योग	**373.834**	**47.628**	**5.292**	**2.597**	**429.351**	**189.73**	**1266**
10	सिरमौर	आई.डब्लयू.एम.पी.. I	41.310	35.280	3.920	1.152	81.662	23.517	96
		आई.डब्लयू.एम.पी.. II	91.413	0.000	0.000	2.153	93.566	30.077	141
		योग	**132.723**	**35.28**	**3.92**	**3.305**	**175.228**	**53.594**	**237**
11	सोलन	आई.डब्लयू.एम.पी.. I	33.882	41.454	4.606	0.048	79.990	27.949	186
		आई.डब्लयू.एम.पी.. II	106.154	13.230	1.470	0.000	120.854	41.876	279
		आई.डब्लयू.एम.पी.. III	65.218	60.858	6.762	0.000	132.838	63.744	425
		योग	**205.254**	**115.542**	**12.838**	**0.048**	**333.682**	**133.569**	**890**
12	ऊना	आई.डब्लयू.एम.पी .I	46.653	49.392	5.488	0.000	101.533	51.440	165
		योग	**46.653**	**49.392**	**5.488**	**0.000**	**101.533**	**51.440**	**165**
13		एस0एल0एन0ए0	**156.584**	**15.516**	**1.724**	**2.538**	**176.362**	**12.135**	
		कुल योग	**2010.137**	**775.80**	**86.20**	**30.8178**	**2902.954**	**1211.908**	**7317**

Detail of funds released,expenditure incurrred & area covered during the year 2017-18

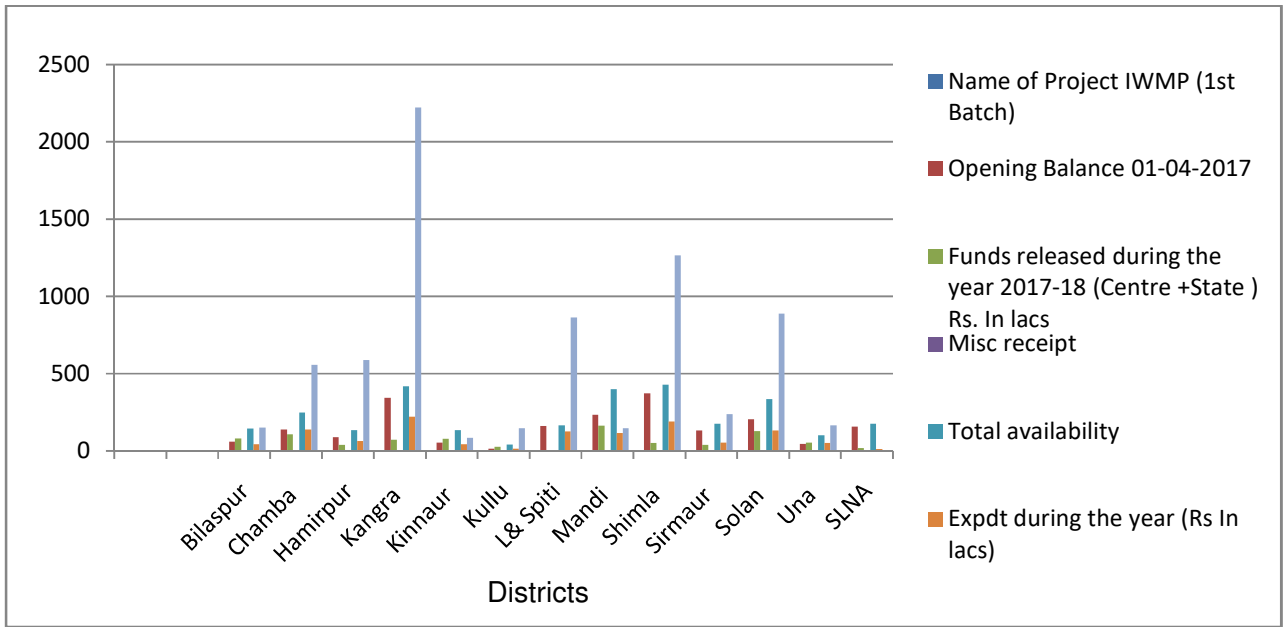

द्वितीय चरण

क्र0 सं0	जिला का नाम	परियोजना का नाम	शेष राशि 1.4. 2017	वर्ष 2017–18 में प्राप्त की गई राशि		विविध प्राप्ति	कुल प्राप्त धनराशि	व्यय	भौतिक उपलब्धियॉ
				केन्द्रीय भाग	राज्य भाग				
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	बिलासपुर	आई.डब्लयू.एम.पी.. IV	6.281	44.100	4.900	0.207	55.488	7.634	25
		आई.डब्लयू.एम.पी.. V	18.855	7.056	0.784	0.483	27.178	6.007	40
		आई.डब्लयू.एम.पी.. VI	12.726	8.820	0.980	0.478	23.004	2.481	16
		योग	**37.862**	**59.976**	**6.664**	**1.168**	**105.67**	**16.122**	**81**
2	चम्बा	आई.डब्लयू.एम.पी.. IV	7.386	26.460	2.940	0.057	36.843	9.010	48
		आई.डब्लयू.एम.पी.. V	59.240	35.280	3.920	0.256	98.697	59.329	249
		आई.डब्लयू.एम.पी.. VI	69.136	0.000	0.000	0.000	69.136	54.500	195
		आई.डब्लयू.एम.पी.. VII	97.670	0.000	0.000	0.000	97.670	58.433	175
		योग	**233.432**	**61.74**	**6.86**	**0.313**	**302.346**	**181.272**	**667**
3	हमीरपुर	आई.डब्लयू.एम.पी.. III	27.214	26.460	2.940	0.180	56.794	23.218	244
		योग	**27.214**	**26.460**	**2.940**	**0.180**	**56.794**	**23.218**	**244**
4	कांगड़ा	आई.डब्लयू.एम.पी..	37.380	13.230	1.470	0.387	52.467	24.817	184

		VI							
		आई.डब्लयू.एम.पी.. VII	28.067	17.640	1.960	0.128	47.795	20.582	151
		आई.डब्लयू.एम.पी.. VIII	36.991	13.230	1.470	0.160	51.851	19.570	174
		आई.डब्लयू.एम.पी.. IX	19.970	17.640	1.960	0.291	39.861	12.286	232
		आई.डब्लयू.एम.पी.. X	28.685	4.410	0.490	0.348	33.933	14.727	494
		आई.डब्लयू.एम.पी.. XI	22.313	8.820	0.980	0.213	32.326	12.583	363
		योग	**173.406**	**74.97**	**8.33**	**1.527**	**258.233**	**104.565**	**1598**
5	किन्नौर	आई.डब्लयू.एम.पी.. IV	31.696	8.820	0.980	0.100	41.596	9.810	11
		आई.डब्लयू.एम.पी.. V	21.139	8.820	0.980	0.910	31.849	6.800	2
		आई.डब्लयू.एम.पी.. VI	-23.085	17.640	1.960	0.310	-3.175	12.800	15
		योग	**29.75**	**35.28**	**3.92**	**1.32**	**70.27**	**29.41**	**28**
6	कुल्लू	आई.डब्लयू.एम.पी.II	22.623	8.820	0.980	0.076	32.499	12.760	86
		आई.डब्लयू.एम.पी.. III	19.345	8.820	0.980	0.121	29.266	18.290	90
		आई.डब्लयू.एम.पी.. IV	21.569	13.230	1.470	0.076	36.345	12.390	59
		आई.डब्लयू.एम.पी.. V	37.280	10.584	1.176	0.009	49.048	31.39	196
		आई.डब्लयू.एम.पी.. VI	7.437	7.938	0.882	0.000	16.257	4.630	14
		योग	**108.254**	**49.392**	**5.488**	**0.282**	**163.415**	**79.46**	**445**
7	लाहौल–स्पिति	आई.डब्लयू.एम.पी.. III	37.254	17.640	1.960	0.800	57.654	20.620	108
		आई.डब्लयू.एम.पी.. IV	76.633	0.000	0.000	0.24	76.873	37.940	142
		योग	**113.887**	**17.64**	**1.96**	**1.04**	**134.527**	**58.56**	**250**
8	मण्ड़ी	आई.डब्लयू.एम.पी.. IV	7.110	7.056	0.784	0.01	14.957	2.388	0
		आई.डब्लयू.एम.पी.. V	6.165	14.112	1.568	1.135	22.981	6.659	7
		योग	**13.275**	**21.168**	**2.352**	**1.145**	**37.938**	**9.047**	**7**
9	शिमला	आई.डब्लयू.एम.पी..VIII	28.493	0.000	0.000	0.200	28.693	0.580	0
		आई.डब्लयू.एम.पी.. IX	2.612	13.230	1.470	0.240	37.552	10.120	124
		आई.डब्लयू.एम.पी.. X	9.484	17.640	1.960	0.120	29.204	10.010	145
		आई.डब्लयू.एम.पी.. XI	28.963	14.994	1.666	0.040	45.663	12.910	139
		आई.डब्लयू.एम.पी.. XII	53.068	20.286	2.254	0.430	76.038	25.420	502

		आई.डब्लयू.एम.पी.. **XIII**	4.985	24.696	2.744	0.180	32.605	10.170	52
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **XIV**	148.781	13.230	1.470	0.580	164.061	36.340	348
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **XV**	41.224	24.696	2.744	0.190	68.854	17.09	97
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **XVI**	11.377	17.640	1.960	0.250	31.227	0.470	0
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **XVII**	29.589	7.056	0.784	0.230	37.659	6.190	21
		योग	**378.576**	**153.468**	**17.052**	**2.46**	**551.556**	**129.3**	**1428**
10	सिरमौर	आई.डब्लयू.एम.पी.. **III**	22.700	35.280	3.920	0.538	62.438	13.284	56
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **IV**	8.284	35.280	3.920	0.715	48.199	13.447	31
		योग	**30.984**	**70.56**	**7.84**	**1.253**	**110.637**	**26.731**	**87**
11	सोलन	आई.डब्लयू.एम.पी.. **IV**	21.307	52.920	5.880	0.001	80.109	16.470	111
		योग	**21.307**	**52.920**	**5.880**	**0.001**	**80.109**	**16.470**	**111**
12	ऊना	आई.डब्लयू.एम.पी.**II**	28.124	8.820	0.980	0.000	37.924	9.430	40
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **III**	29.285	26.460	2.940	0.000	58.685	18.970	54
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **IV**	11.261	8.820	0.980	0.000	21.061	6.080	57
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **V**	-24.867	68.796	7.644	0.000	51.573	7.860	196
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **VI**	-5.102	14.112	1.568	0.000	10.578	5.700	7
		योग	**38.701**	**127.008**	**14.112**	**0.0**	**179.821**	**48.04**	**354**
13		एस0एल0एन0ए0	**109.007**	**15.318**	**1.702**	**0.545**	**126.572**	**0.00**	**0**
		कुल योग	**1315.655**	**765.9**	**85.1**	**11.234**	**2177.888**	**722.195**	**5300**

Detail of funds released,expenditure incurrred & area covered during the year 2017-18

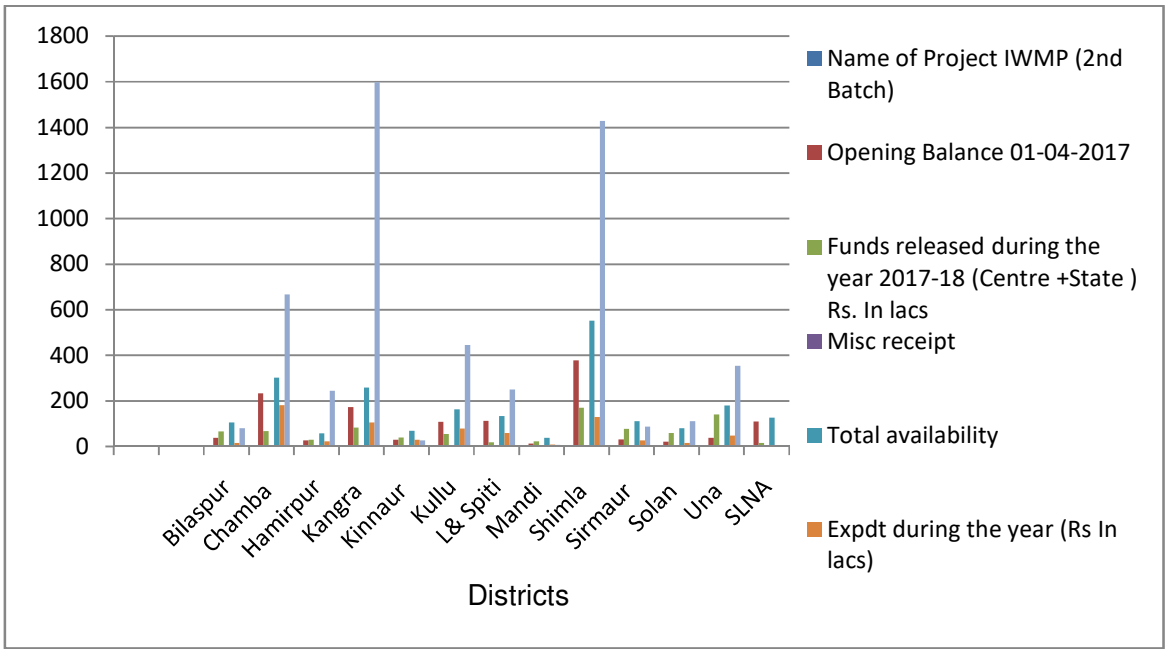

तृतीय चरण

क्र0 सं0	जिला का नाम	परियोजना का नाम	शेष राशि 1.4.2017	वर्ष 2017–18 में प्राप्त की गई राशि		विविध प्राप्ति	कुल प्राप्त धनराशि	व्यय	भौतिक उपलब्धियॉ
				केन्द्रीय भाग	राज्य भाग				
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	चम्बा	आई.डब्लयू.एम.पी. VIII	40.706	8.820	0.980	0.051	50.556	47.155	104
		आई.डब्लयू.एम.पी.. IX	5.169	7.056	0.784	0.031	13.040	3.700	0
		आई.डब्लयू.एम.पी.. X	28.799	8.820	0.980	0.275	38.874	22.256	31
		आई.डब्लयू.एम.पी.. XI	-1.818	26.460	2.940	0.000	27.582	0.196	43
		आई.डब्लयू.एम.पी. XIV	31.198	26.460	2.940	0.275	60.873	30.4440	167
		योग	**104.054**	**77.616**	**8.624**	**0.632**	**190.925**	**103.751**	**345**
2	हमीरपुर	आई.डब्लयू.एम.पी.. IV	56.165	35.280	3.920	1.100	96.465	45.960	433
		योग	**56.165**	**35.280**	**3.920**	**1.100**	**96.465**	**45.960**	**433**
3	कांगड़ा	आई.डब्लयू.एम.पी.. XII	28.486	26.460	2.940	0.294	58.180	24.852	144
		आई.डब्लयू.एम.पी.. XIII	39.319	17.640	1.960	0.170	59.088	37.054	737
		आई.डब्लयू.एम.पी.. XIV	28.177	26.460	2.940	0.113	57.690	28.251	385
		आई.डब्लयू.एम.पी.. XV	50.490	8.820	0.980	0.322	60.612	41.536	244
		आई.डब्लयू.एम.पी. XVII	72.495	8.820	0.980	0.450	82.745	47.413	352

		योग	**218.967**	**88.20**	**9.800**	**1.349**	**318.315**	**179.106**	**1862**
4	किन्नौर	आई.डब्लयू.एम.पी.. **VII**	34.980	17.640	1.960	0.098	54.678	23.420	22
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **VIII**	25.304	17.640	1.960	0.533	45.437	5.850	34
		योग	**60.284**	**35.28**	**3.92**	**0.631**	**100.115**	**29.270**	**56**
5	कुल्लू	आई.डब्लयू.एम.पी.**IX**	53.545	8.820	0.980	0.110	63.455	36.349	90
		योग	**53.545**	**8.820**	**0.980**	**0.110**	**63.455**	**36.349**	**90**
6	लाहौल–स्पिति	आई.डब्लयू.एम.पी.. **V**	43.295	26.460	2.940	2.000	74.695	41.47	175
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **VIII**	44.316	0.000	0.000	0.120	44.436	22.52	98
		योग	**87.611**	**26.46**	**2.94**	**2.12**	**119.131**	**63.99**	**273**
7	मण्ड़ी	आई.डब्लयू.एम.पी.. **VII**	26.655	8.820	0.980	0.026	36.481	22.487	0
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **VIII**	31.126	8.820	0.980	0.380	41.306	22.817	111
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **IX**	31.517	8.820	0.980	0.059	41.376	20.187	189
		आई.डब्लयू.एम.पी..**X**	43.020	8.820	0.980	0.103	52.923	33.920	3
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **XI**	49.668	8.820	0.980	0.277	59.744	23.863	6
		योग	**181.986**	**44.10**	**4.90**	**0.845**	**231.83**	**123.274**	**309**
8	□मला	आई.डब्लयू.एम.पी. **XVIII**	48.630	8.820	0.980	0.080	58.510	12.440	83
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **XIX**	36.379	8.820	0.980	0.170	46.349	10.230	68
		आई.डब्लयू.एम.पी.**XXIII**	11.656	17.640	1.960	0.440	31.696	5.430	36
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **XXIV**	14.221	17.640	1.960	0.220	34.041	7.060	47
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **XXV**	16.676	17.640	1.960	0.260	36.536	7.270	48
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **XXVI**	16.997	17.640	1.960	0.430	37.027	6.490	51
		योग	**144.559**	**88.200**	**9.800**	**1.600**	**244.159**	**48.920**	**333**
9	सिरमौर	आई.डब्लयू.एम.पी.. **V**	53.536	17.640	1.960	0.621	73.757	22.388	90
		योग	**53.536**	**17.640**	**1.960**	**0.621**	**73.757**	**22.388**	**90**
10	सोलन	आई.डब्लयू.एम.पी.. **V**	40.870	61.740	6.860	0.000	109.470	31.768	212
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **VI**	3.491	77.616	8.624	0.000	89.731	9.630	64
		योग	**44.361**	**139.356**	**15.484**	**0.00**	**199.201**	**41.398**	**276**
13		एस0एल0एन0ए0	**18.107**	**11.448**	**1.272**	**0.229**	**31.056**	**21.915**	
		कुल योग	**1023.175**	**572.400**	**63.600**	**9.237**	**1668.409**	**716.321**	**4067**

Detail of funds released,expenditure incurrred & area covered during the year 2017-18

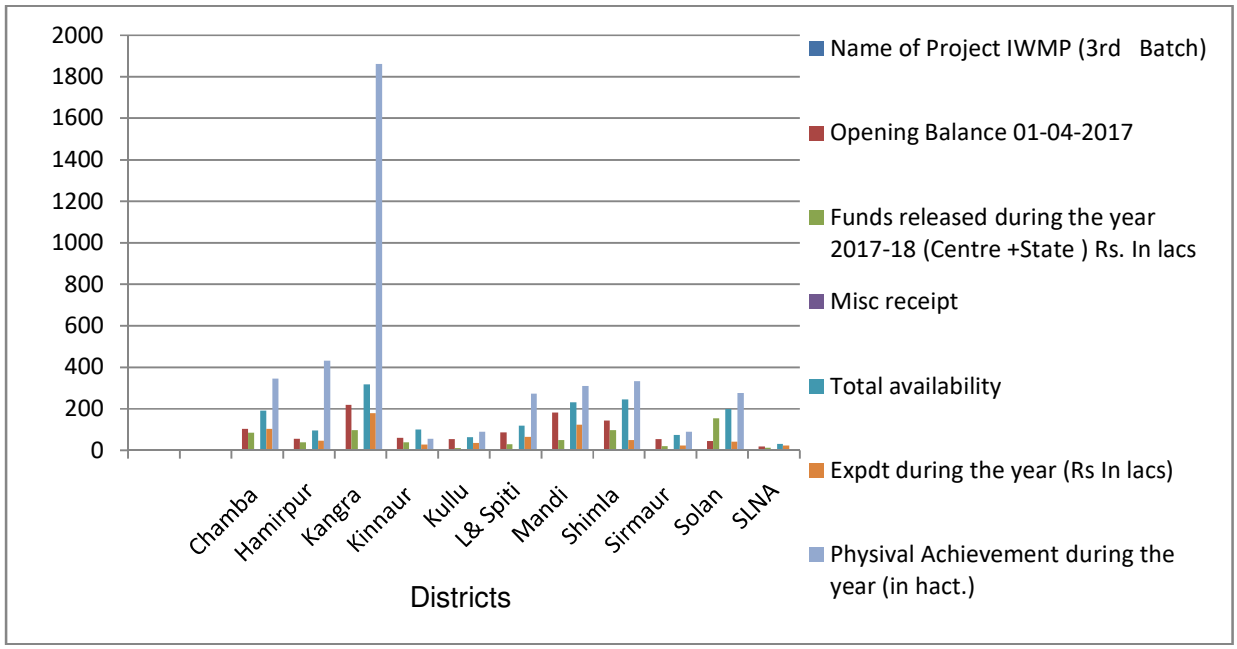

चतुर्थ चरण

क्र0 सं0	जिला का नाम	परियोजना का नाम	शेष राशि 1.4. 2017	वर्ष 2017–18 में प्राप्त की गई राशि		विविध प्राप्ति	कुल प्राप्त धनराशि	व्यय	भौतिक उपलब्धियॉ
				केन्द्रीय भाग	राज्य भाग				
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	बिलासपुर	आई.डब्लयू.एम.पी.. VII	24.919	26.460	2.940	0.263	54.581	9.825	52
		आई.डब्लयू.एम.पी.. VIII	33.751	44.100	4.900	0.652	83.403	19.218	94
		योग	**58.670**	**70.560**	**7.840**	**0.915**	**137.984**	**29.043**	**146**
2	चम्बा	आई.डब्लयू.एम.पी.. XII	62.939	26.460	2.940	0.304	92.643	57.426	89
		आई.डब्लयू.एम.पी.. XIII	51.911	44.100	4.900	0.037	100.949	55.965	286
		योग	**114.85**	**70.560**	**7.840**	**0.341**	**193.592**	**113.391**	**375**
3	कांगड़ा	आई.डब्लयू.एम.पी.. XVI	82.383	30.870	3.430	1.125	117.808	57.178	496
		योग	**82.383**	**30.870**	**3.430**	**1.125**	**117.808**	**57.178**	**496**
4	कुल्लू	आई.डब्लयू.एम.पी. VII	62.381	8.820	0.980	0.041	72.222	44.734	189
		आई.डब्लयू.एम.पी.. VIII	129.262	8.820	0.980	0.270	139.332	61.713	185
		योग	**191.643**	**17.64**	**1.960**	**0.311**	**211.554**	**106.447**	**374**
5	लाहौल–स्पिति	आई.डब्लयू.एम.पी.. VI	36.430	8.820	0.980	0.700	46.930	24.990	239
		आई.डब्लयू.एम.पी.. VII	51.877	8.820	0.980	1.500	63.177	32.740	230
		आई.डब्लयू.एम.पी.. IX	35.579	4.410	0.490	0.070	40.549	15.820	101

		आई.डब्लयू.एम.पी..X	35.807	4.410	0.490	0.070	40.777	16.890	90
		योग	**159.693**	**26.460**	**2.94**	**2.34**	**191.433**	**90.44**	**660**
6	शिमला	आई.डब्लयू.एम.पी.. **XX**	37.955	13.230	1.470	0.330	52.985	9.990	67
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **XXI**	46.252	13.230	1.470	0.385	61.337	9.140	61
		आई.डब्लयू.एम.पी. **XXII**	2.612	17.640	1.960	0.180	22.392	2.870	19
		आई.डब्लयू.एम.पी. **XXVII**	56.188	13.230	1.470	0.364	71.252	17.750	118
		योग	**143.007**	**57.330**	**6.370**	**1.259**	**207.966**	**39.750**	**265**
7	सिरमौर	आई.डब्लयू.एम.पी.. **VI**	85.116	22.050	2.450	1.704	111.320	51.782	114
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **VII**	68.224	8.820	0.980	2.065	80.089	32.676	171
		योग	**153.34**	**30.870**	**3.430**	**3.769**	**191.409**	**84.458**	**285**
8	सोलन	आई.डब्लयू.एम.पी.. **VII**	13.579	35.280	3.920	0.000	52.779	11.620	98
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **VIII**	69.294	17.640	1.960	0.367	89.261	68.541	447
		योग	**82.873**	**52.920**	**5.880**	**0.367**	**142.04**	**80.161**	**545**
9	ऊना	आई.डब्लयू.एम.पी. **VII**	69.269	26.460	2.940	50.000	148.669	11.600	45
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **VIII**	42.513	8.820	0.980	0.000	52.313	17.550	80
		योग	**111.782**	**35.280**	**3.920**	**50.000**	**200.982**	**29.150**	**125**
10		एस0एल0एन0ए0	**-16.862**	**8.010**	**0.890**	**0.230**	**-7.732**	**21.915**	**0**
		कुल योग	**1081.379**	**400.500**	**44.500**	**60.657**	**1587.036**	**651.933**	**3271**

Detail of funds released,expenditure incurrred & area covered during the year 2017-18

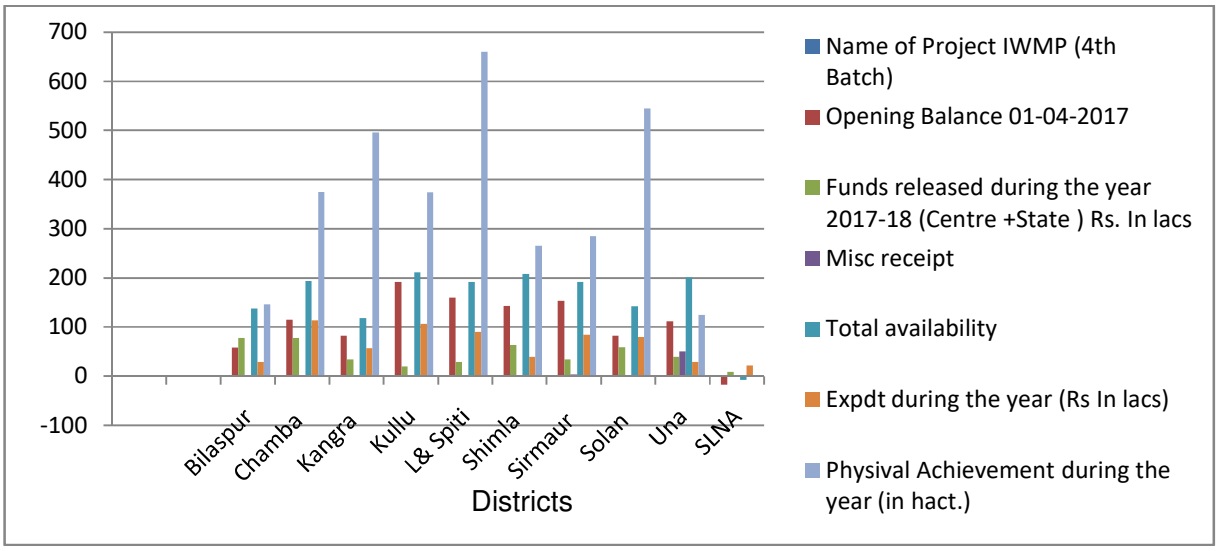

पंचम चरण

क्र0 सं0	जिला का नाम	परियोजना का नाम	शेष राशि 1.4. 2017	वर्ष 2017–18 में प्राप्त की गई राशि		विविध प्राप्ति	कुल प्राप्त धनराशि	व्यय	भौतिक उपलब्धियॉ
				केन्द्रीय भाग	राज्य भाग				
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	बिलासपुर	आई.डब्लयू.एम.पी.. **IX**	1.801	0.000	0.000	0.077	1.878	1.600	0
		आई.डब्लयू.एम.पी..**X**	-6.331	13.500	1.500	0.086	8.754	1.913	6
		योग	**-4.530**	**13.500**	**1.500**	**0.1630**	**10.632**	**3.513**	**6**
2	चम्बा	आई.डब्लयू.एम.पी.. **XV**	3.471	0.000	0.000	0.058	3.529	3.510	21
		योग	**3.471**	**0.000**	**0.000**	**0.058**	**3.529**	**3.510**	**21**
3	हमीरपुर	आई.डब्लयू.एम.पी..**V**	7.513	4.500	0.500	0.000	12.513	0.000	0
		योग	**7.513**	**4.500**	**0.500**	**0.000**	**12.513**	**0.000**	**0**
4	किन्नौर	आई.डब्लयू.एम.पी.**IX**	2.246	0.000	0.000	0.000	2.246	1.430	0
		योग	**2.246**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**2.246**	**1.430**	**0**
5	कुल्लू	आई.डब्लयू.एम.पी..**X**	-18.576	0.000	0.000	0.000	-18.576	8.309	52
		आई.डब्लयू.एम.पी..**XI**	6.614	0.000	0.000	0.000	6.614	3.198	0
		योग	**-11.962**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**-11.962**	**11.507**	**52**
6	मण्ड़ी	आई.डब्लयू.एम.पी..**XII**	2.981	0.000	0.000	0.069	3.050	2.775	0
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **XIII**	1.078	0.900	0.100	0.015	2.093	1.010	0
		योग	**4.059**	**0.900**	**0.100**	**0.084**	**5.143**	**3.785**	**0**
7	शिमला	आई.डब्लयू.एम.पी. **XXVIII**	-12.437	12.600	1.400	0.170	1.733	2.720	18
		आई.डब्लयू.एम.पी. **XXVIX**	3.654	13.500	1.500	0.210	18.864	0.880	6
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **XXX**	-7.820	7.200	0.800	0.140	0.320	0.720	5
		योग	**-16.603**	**33.300**	**3.700**	**0.520**	**20.917**	**4.320**	**29**
8	सिरमौर	आई.डब्लयू.एम.पी.. **VIII**	1.522	25.200	2.800	0.063	29.585	0.000	0

		आई.डब्लयू.एम.पी..**IX**	-23.777	0.000	0.000	0.072	-23.705	0.000	0
		योग	**-22.255**	**25.200**	**2.800**	**0.135**	**5.880**	**0.000**	**0**
9	सोलन	आई.डब्लयू.एम.पी.**IX**	5.684	27.100	3.011	0.000	35.795	4.699	39
		योग	**5.684**	**27.100**	**3.011**	**0.000**	**35.795**	**4.699**	**39**
		कुल योग							
			-32.377	**104.500**	**11.611**	**0.960**	**84.693**	**32.764**	**147**

Detail of funds released,expenditure incurrred & area covered during the year 2017-18

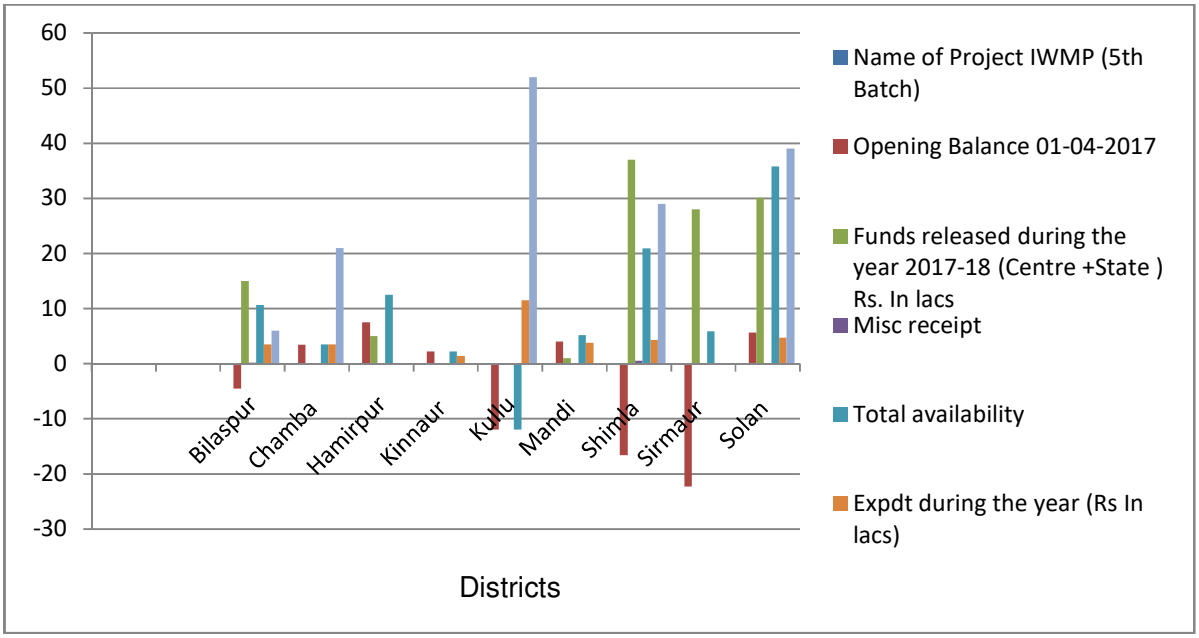

छठा चरण

क0 सं0	जिला का नाम	परियोजना का नाम	शेष राशि 1.4. 2017	वर्ष 2017–18 में प्राप्त की गई राशि		विविध प्राप्ति	कुल प्राप्त धनराशि	व्यय	भौतिक उपलब्धियॉ
				केन्द्रीय भाग	राज्य भाग				
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	बिलासपुर	आई.डब्लयू.एम.पी.**XI**	2.318	0.000	0.000	0.037	2.354	1.619	0
		आई.डब्लयू.एम.पी..**XII**	5.194	0.000	0.000	0.113	5.307	4.903	0
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **XIII**	1.890	0.000	0.000	0.024	1.914	1.788	0
		योग	**9.402**	**0.000**	**0.000**	**0.174**	**9.575**	**8.310**	**0**
2	चम्बा	आई.डब्लयू.एम.पी.. **XVI**	3.411	0.000	0.000	0.036	3.447	3.446	5
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **XVII**	2.573	0.000	0.000	0.038	2.610	2.602	8
		योग	**5.984**	**0.000**	**0.000**	**0.074**	**6.057**	**6.048**	**13**
3	कांगडा	आई.डब्लयू.एम.पी.. **XVIII**	7.748	0.000	0.000	0.261	8.009	3.304	0
		आई.डब्लयू.एम.पी..	6.644	0.000	0.000	0.234	6.878	4.228	0

		XIX							
		योग	**14.392**	**0.000**	**0.000**	**0.495**	**14.887**	**7.532**	**0**
4	लाहौल–स्पिति	आई.डब्लयू.एम.पी.**XI**	6.798	0.000	0.000	0.220	7.018	0.910	0
		आई.डब्लयू.एम.पी.**XII**	5.551	0.000	0.000	0.000	5.551	0.450	0
		योग	**12.349**	**0.000**	**0.000**	**0.220**	**12.569**	**1.360**	**0**
5	मण्ड़ी	आई.डब्लयू.एम.पी.. **XIV**	2.133	0.000	0.000	0.064	2.197	1.857	0
		आई.डब्लयू.एम.पी.. **XV**	2.163	0.900	0.100	0.044	3.207	2.075	0
		योग	**4.296**	**0.900**	**0.100**	**0.108**	**5.404**	**3.932**	**0**
6	शिमला	आई.डब्लयू.एम.पी.**XXXI**	-11.907	36.000	4.000	0.150	28.243	0.000	0
		आई.डब्लयू.एम.पी.**XXXII**	3.190	0.000	0.000	0.310	3.500	0.000	0
		आई.डब्लयू.एम.पी. **XXXIII**	3.199	0.000	0.000	0.140	3.339	0.000	0
		आई.डब्लयू.एम.पी. **XXXIV**	4.635	0.000	0.000	0.140	4.775	0.000	0
		योग	**-0.883**	**36.000**	**4.000**	**0.740**	**39.857**	**0.000**	**0**
7	सिरमौर	आई.डब्लयू.एम.पी..**X**	9.592	0.000	0.000	0.272	9.864	4.832	0
		योग	**9.592**	**0.000**	**0.000**	**0.272**	**9.864**	**4.832**	**0**
8	सोलन	आई.डब्लयू.एम.पी.**X**	5.171	27.000	3.000	0.000	35.171	4.214	28
		योग	**5.171**	**27.000**	**3.000**	**0.000**	**35.171**	**4.214**	**28**
		कुल योग	**60.303**	**63.900**	**7.100**	**2.083**	**133.384**	**36.228**	**41.000**

Detail of funds released,expenditure incurrred & area covered during the year 2017-18

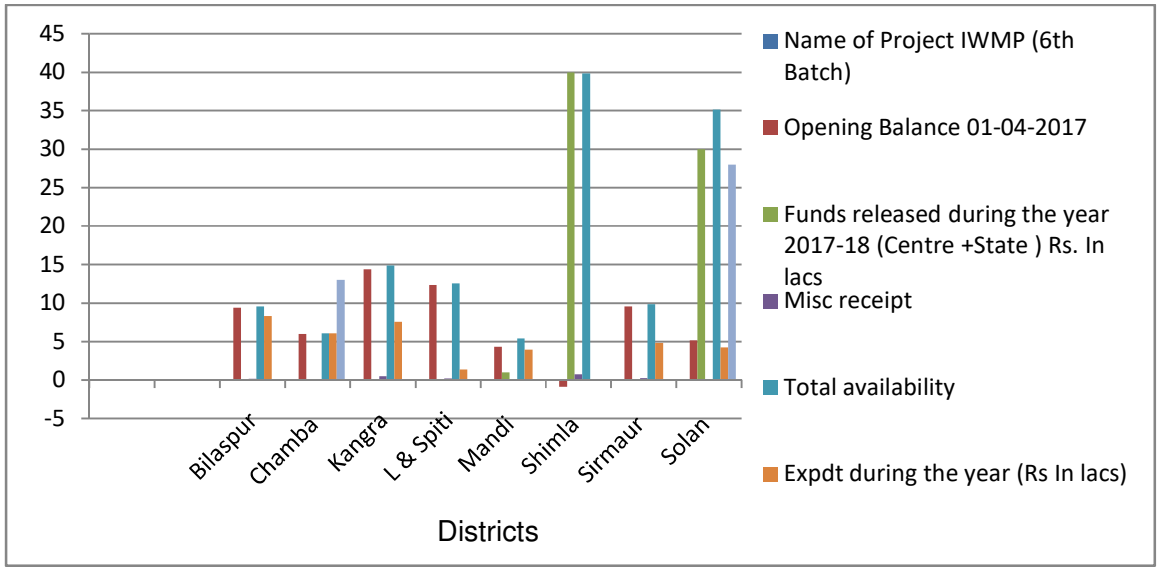

10. स्वच्छ भारत मि□ान (ग्रामीण) 2017–2018:–

सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने तथा सुरक्षित स्वच्छता पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के प्रधान मंत्री ने 2 अक्तूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का शुभारम्भ किया ।

प्रवृति

इस कार्यक्रम का मुख्य उददेश्य समस्त ग्राम पंचायतों को बाह्य शौच मुक्त करना है । निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए इस का कार्यन्वयन किया जा रहा है :–

क) गांव/ पर्यावरण में किसी प्रकार का मल न पाया जाए ।

ख) हर घर के साथ साथ सार्वजनिक/सामुदायिक संस्थानों में मल के निपटारे हेतू सुरक्षित प्रौद्योयोगिकी विकल्प का प्रयोग ।

घटकः–

कार्यक्रम के निम्नलिखित दो धटक हैं :–

- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन
- सामुदायिक स्वच्छता परिसर

उद्दे य

- स्वच्छता, साफ–सफाई और खूले में शौच प्रथा समाप्त करने को बढावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना।
- जागरूकता, एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को स्थाई स्वच्छता हेतू प्रेरित करना।
- पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित एवं स्थायी स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी और संगत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
- जहां भी आवश्यक हो, ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण साफ–सफाई के लिए वैज्ञानिक तौर तरीकों से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान संकेन्द्रित करते हुए समुदाय प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का विकास।

हिमाचल प्रदेश को दिनांक 28/10/2016 को बाह्य शौचमुक्त राज्य घोषित किया गया। राज्य का मत है कि आज तक की बाह्य शौचमुक्त स्थिति को यथावत रखा जाए तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन गतिविधियों को समस्त ग्राम पंचायतों में चरणवद्ध तरीके से लागू किया जाए। गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

- ग्राम पंचायतों के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन पर एस0 ओ0 पी0 तैयार किया गया है जिसे जिलों/विकास खण्डों/ग्राम पंचायतों के मध्य वितरित किया जा चुका है।
- बायो–डिग्रेडेबल अपषिष्ट को मशीनों/यांन्त्रिकी के माध्यम से खाद में परिवर्तित किया जा रहा हैं। बायो–डिग्रेडेबल अपशिष्ट को केचुआ खाद (वर्मी कम्पोस्ट) में परिवर्तित करने हेतू 584 ग्राम पंचायतों में कम्पोस्ट पिटस का निर्माण किया जा चुका है । तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए ग्राम पंचायतों ने सोखते गड्ढों और जल निकासी आदि का निर्माण किया है ।
- जहॉ तक गैर – जैव – अपव्यय अपशिष्ट के उपचार का प्रश्न है, इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अपशिष्ट को पृथक–पृथक कर या तो ग्राम पंचायत के माध्यम से

कवाड़ियों को दिया जा रहा है या फिर जमीन में दबाया जा रहा है । प्लास्टिक एवं सैनिटेरी नैपकिन इत्यादि को श्रेडर /इनसीनरेटर के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है । प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को निर्देश दिये गये हैं कि जहां भी सम्भव हो वहां इन आदर्श गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जाए ।

- सामुदायिक स्वच्छता परिसर घटक के अर्न्तगत वर्ष 2017–18 में 346 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया गया जिस पर मु0 4.20 करोड़ रूपये खर्च किये गये। अब तक राज्य की 584 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन की गतिविधियां शुरू की गई । इस प्रक्रिया पर मु0 21.37 करोड़ रू0 खर्च किये गये है।

स्कूल स्वच्छता प्रोत्साहन योजना :–

यह योजना वर्ष 2008–09 के दौरान शुरू की गई । स्वच्छता अभियान को बढावा देने के लिए यह एक पुस्कार आधारित योजना है। इस योजना के तहत स्वच्छता कार्यो में उत्तम/अग्रसर जिला एवं खण्ड स्तर पर सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च/सीनियर सकैंडरी स्कूलों विजेता घोषित करके दिनांक 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस समारोह में हर वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार ने निर्धारित मापदण्डों अनुसार 504 स्कूलों को मु0 88.20 लाख रू0 पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये ।

महिला मण्डल प्रोत्साहन योजनाः–

इस योजना को महिला मण्ड़लों से स्वच्छता पर जागरूकता हेतू पूरी तरह से जोड़ा गया हैं और इस योजना के तहत गांव/वार्ड़ और ग्राम पंचायत में सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन करने वाले महिला मण्डल से सम्मानित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा तय मापदंड़ों के अनुसार वर्ष 2017–18 के दौरान 1010 महिला मण्डल को 130.72 लाख रू0 की राशी से पुरस्कृत किया गया है।

जिलावार भौतिक व वित्तीय उपलब्धि वर्ष 2017–18 निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	जिला का नाम	सामुदायिक .स्वच्छता परिसर		ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन	
		निर्मित	वित्तीय खर्चा (रू0 करोड में)	पंचायतों की संख्या	वित्तीय खर्चा (रू0 करोड में)
1	बिलासुपर	54	0	48	2.42
2	चम्बा	14	0.91	14	0.62
3	हमीरपुर	0	0.18	111	4.07
4	कांगड़ा	14	0	9	0.07
5	किन्नौर	10	0.22	13	0.67
6	कुल्लू	38	0.18	74	2.17
7	लाहौल स्पिति	0	0	13	0.67

8	मण्ड़ी	28	0	155	4.20
9	शिमला	0	0.04	67	3.42
10	सिरमौर	60	0	21	0.77
11	सोलन	128	0.94	15	0.63
12	ऊना	0	1.73	44	1.66
	कुल योग	346	4.20	584	21.37

जिलावार भौतिक व वित्तीय उपलब्धि वर्ष 2017–18 निम्न प्रकार से है:–

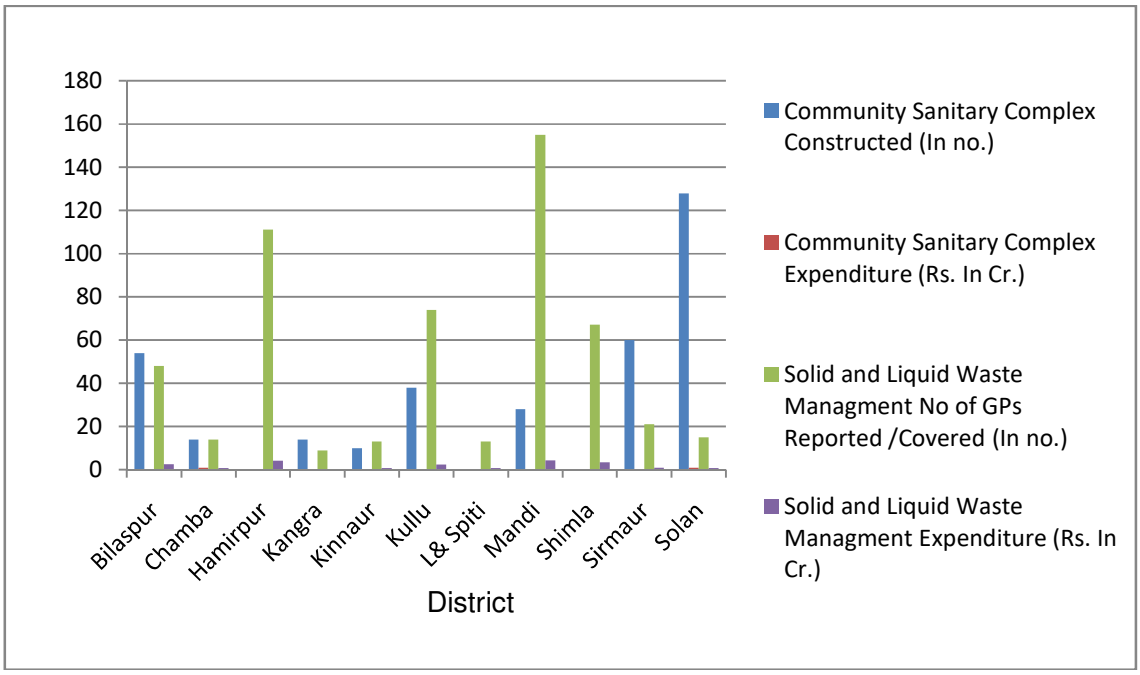

9. राश्ट्रीय रूर्बन मि□ान (एनआरयूएम)

राष्ट्रीय रूर्बन मिशन का शुभारंभ 21 फरवरी,2016 को सम्पूर्ण भारत वर्ष में अगले पांच वर्षो में 300 रूर्बन कलस्टर को व्यवस्था के लाभ को इष्टतम बनाने की दृष्टि से किया गया है। जिसके लिए इस मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध करवाए जाने वाले आवश्यक पूरक वितपोषण के अलावा सराकर की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से इनके लिए संसाधन जुटाए जाऐगें।

मि□ान के उद्धे□यः

राष्ट्रीय रूर्बन मिशन (एनआरयूएम) का उदेश्य स्थानिय आर्थिक विकास को प्रोतसाहन देना, अधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुव्यवस्थित रूर्बन कलस्टरों का सृजन करना है।

विजनः

"अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेषण पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुए गांव के कलस्टर का "रूर्बन गांव" के रूप में विकसित करना है "।

परिणाम :

इस मिशन के अन्तर्गत परिकल्पित वृहत परिणाम इस प्रकार है :

- ग्रामीण शहरी अन्तर अर्थात आर्थिक, प्रौद्योगिकीय एवं सुविधाओं तथा सेवाओं से जुड़े अन्तर को समाप्त करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी उपशमन पर बल देते हुए स्थानिय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- क्षेत्र में विकास का प्रसार करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना।

हिमाचल प्रदे□ा में राश्ट्रीय रूर्बन मि□ान

चरणः 1

- **सांगला (किन्नौर) कलस्टर** : प्रथम व द्वितिय किश्त की राशी रू0 9.00 करोड डी0 आर0 डी0 ए0 किन्नौर को सांगला कलस्टर के लिए जारी की गई है। जिससे राशी रू0 3.73 करोड़ का व्यय अर्थात 41.44 प्रतिशत हो गया है और जमीनी स्तर पर काम चल रहा है।
- **हिन्नर (सोलन) कलस्टर :** प्रथम व द्वितिय किश्त की राशी रू0 9.00 करोड डी0 आर0 डी0 ए0 सोलन को हिन्नर कलस्टर के लिए जारी की गई है। जिससे राशी रू0 1.65 करोड़ का व्यय अर्थात 18.33 प्रतिशत हो गया है और जमीनी स्तर पर काम चल रहा है।

चरणः 2

- **ऑट (मण्डी) कलस्टर :** प्रथम किश्त की राशी रू0 4.50 करोड डी0 आर0 डी0 ए0 मण्डी को ऑट कलस्टर के लिए जारी की गई है। जिससे राशी रू0 2.03 करोड़ का व्यय अर्थात 45.11 प्रतिशत हो गया है और जमीनी स्तर पर काम चल रहा है।

चरणः 3

- **घणाहटटी (ि□ामला) कलस्टर :** प्रथम किश्त की राशी रू0 4.50 करोड डी0 आर0 डी0 ए0 शिमला को घणाहटटी कलस्टर के लिए जारी की गई है और जमीनी स्तर पर काम चल रहा है क्योंकि DPR की स्वीकृति दिनांक 14–02–2019 को SLEC में दी गई है।
- **मूरंग (किन्नौर) कलस्टर :** प्रथम किश्त की राशी रू0 4.50 करोड डी0 आर0 डी0 ए0 किन्नौर को मूरंग कलस्टर के लिए जारी की गई है और जमीनी स्तर पर काम चल रहा है क्योंकि DPR की स्वीकृति दिनांक 14–02–2019 को SLEC में दी गई है।
- **सिहुंता (चंबा) कलस्टर :** प्रथम किश्त की राशी रू0 4.50 करोड डी0 आर0 डी0 ए0 चंबा को सिहुंता कलस्टर के लिए जारी की गई है और जमीनी स्तर पर काम चल रहा है क्योंकि DPR की स्वीकृति दिनांक 14–02–2019 को SLEC में दी गई है।

V. सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए निम्न अधिकारियों को नामित किया गया है:–

सरकार/सचिवालय स्तर पर

क्र0 सं0	वर्तमान पद नाम	दूरभाष नम्बर	पदनाम
1.	अतिरिक्त निदेशक एवं संयुक्त सचिव (ग्रामीण विकास)	2623822(कार्य0)	अपील प्राधिकारी
2.	अधीक्षक (सी0डी0–1)	2625484, (कार्य0)	राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी

विभागीय स्तर पर

क्र0 सं0	वर्तमान पद नाम	दूरभाष नम्बर	पदनाम
1.	अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण विकास)/ संयुक्त निदेशक (ग्रामीण विकास)	2623830(कार्य0)/ 2623822	अपील प्राधिकारी
2.	पी0आई0ओ0/अन्वेक्षक, (मनरेगा प्रकोष्ठ),	2627919,(कार्य0)	राज्य जन सूचना अधिकारी
3.	अधिशाषी अभियन्ता (राज्यमुख्यालय)	2623745,(कार्य0)	
4.	उप– निदेशक (एसबीएम–जी)	2622302,(कार्य0)	
5.	अधीक्षक–ग्रेड– II (सी0डी0– II)	2623819 विस्तार सेवा 213	राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी
6.	अधीक्षक–ग्रेड– II (सी0डी0– III)	2623819 विस्तार सेवा 239	
7.	अधीक्षक–ग्रेड– II (बजट)	2623819 विस्तार सेवा 231	
8.	अधीक्षक–ग्रेड– II (अधिशाषी अभियन्ता)	2623819 विस्तार सेवा 226	
9.	अधीक्षक–ग्रेड– II (सांख्यकीय)	2626321 विस्तार सेवा 230	

जिला स्तर पर

क्र0 सं0	वर्तमान पद नाम	पदनाम (अपने क्षेत्राधिकार में)
1.	समस्त परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (हि0प्र0)	अपील प्राधिकारी (अपने कार्यालय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत)
2.	समस्त अधीक्षक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (हि0प्र0)	जन सूचना अधिकारी (अपने कार्यालय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत)

खण्ड स्तर पर

क्र0 सं0	वर्तमान पद नाम	पदनाम (अपने क्षेत्राधिकार में)

1.	समस्त खण्ड विकास अधिकारी (हि0प्र0)	अपील प्राधिकारी
2.	समस्त अधीक्षक कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी (हि0प्र0)	जन सूचना अधिकारी (अपने विकास खण्ड क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत)
3.	समस्त पंचायत सचिव समस्त पंचायत सहायक	सहायक जन सूचना अधिकारी (अपने कार्यालय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत)

ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचना **www.hprural.nic.in** पर उपलब्ध है।